

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application In Disposed of Cases No. 123/2024

In

Original Application No. 281/2024

Kishor Bahuguna

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

I N D E X

Sr. No.	Particulars	pages
1.	Action taken report on behalf of the Nagar Palika, Pauri with annexures	

Filed by

Pksingh

PANKAJ KUMAR SINGH
Advocate for the Nagar Palika
Pauri, Chamber No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi
Mob: 9810950744

New Delhi

Dated: 6/7/2020

In

Original Application No. 281/2024

Kishor Bahuguna

Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

Respondents

ACTION TAKEN REPORT NAGAR PALIKA PAURI

क्र०	अनुपालन किये जाने हेतु सन्दर्भ	अद्यतित अनुपालन विवरण
1	2	3
1	Application and photograph of the complainant	शिकायतकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटोग्राफ्स वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड के हैं। फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे गारबेज का निस्तारण निम्न प्रकार किया गया है।
2	Stop Garbage disposal from the main road	नगर पालिका परिषद पौड़ी के पास ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु वर्तमान में उपलब्ध भूमि ढालदार भूमि है पूर्व में ठोस अपशिष्ट को मुख्य मार्ग के किनारे से ही डाला जा रहा था। वर्तमान में ऊपर से मुख्य भाग से लगभग 600 मी० अन्दरूनी मार्ग से ट्रेचिंग ग्राउंड की ढालदार भूमि के सबसे निचले भाग के बीच में पहाड की कटिंग कराकर एक कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया। वर्तमान में कच्ची सड़क के माध्यम से ही ठोस अपशिष्ट वाहन द्वारा ठोस अपशिष्ट को डाला जा रहा है। नगर पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में प्रतिदिन उत्पादित ठोस अपशिष्ट के सेग्रिगेशन अनुबन्धित एजेंसी के माध्यम से मैनुवली किया जा रहा है। (वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउंड से सम्बन्धित फोटो संलग्न)
3	Wall work in trenching ground	वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड में नीचे खाई में कूड़ा न जाये, इसके लिये मा० न्यायाधिकरण के वाद में अन्तर्गत आदेशों के क्रम में निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दरें प्राप्त करते हुये रु० 69.95 लाख की दीवार तथा वायर फेंट का कार्य भी 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
4	Door-to-door garbage collection and its arrangement	नगर के सभी 11 वार्डों के प्रतिदिन उत्पादित ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण के लिये एक प्राईवेट एजेंसी को अनुबन्धित किया गया है। अनुबन्धित एजेंसी के द्वारा मुख्य मार्गों पर 05 वाहनों से जिसमें सभी वाहनों पर पृथक कम्पार्टमेंट चार प्रकार के अपशिष्ट (SWM, 2016 & SWM, 2026) के अनुपालन में लगाए गए हैं व जागरूकता हेतु जिंगल भी बजाये जाते हैं व दैनिक रूप से डोर-टू-डोर कूड़े का एकत्रीकरण किया

		जाता है व नगर पालिका में प्रतिदिन फ़ैश गारबेज एकत्रीकरण की मात्रा 15 MTD तथा प्रतिदिन फ़ैश गारबेज उत्पादन की मात्रा 17 MTD। SWM, 2026 के अनुपालन में नगर पालिका द्वारा स्रोत पृथक्कीकरण पर प्रत्येक वार्ड में मुख्य मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है ताकि प्रत्येक वार्ड में लोगों को स्रोत पृथक्कीकरण के बारे में जागरूक व प्रोत्साहित किया जाए। शहरी विकास निदेशालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.06.2026 से 12.06.2026 तक नगर पालिका परिषद द्वारा प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर प्रचार प्रसार का कार्य किया गया जिसमें प्रत्येक परिवार तक जाकर SWM rule 2026 के अनुसार ठोस अपशिष्ट को 04 श्रेणियों में अलग करके पालिका के डोर टू डोर स्वच्छता वाहन में देने के लिये जागरूक किया गया। पालिका द्वारा हाल ही में निविदा के माध्यम से एक Desludge/sewer suction Machine का क्रय किया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न) जिससे सेप्टेज के निस्तारण की समस्या को भी दूर किया गया है। (वाहनों के माध्यम से कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ व वार्ड मैम्बरों के लिये नियुक्ति पत्र व निविदा की प्रतिलिपि संलग्न है)
5	Arrangement of door-to-door garbage collection on footpaths of Pauri city	नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा डोर टू डोर ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण हेतु एक फर्म को अनुबन्धित किया गया है। अनुबन्धित फर्म द्वारा 05 वाहनों के माध्यम से सम्पूर्ण शहर में रोड की सुगमता वाले क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण का काम किया जा रहा है। पालिका क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थान जहाँ सड़क मार्ग उपलब्ध नहीं है/ स्वच्छता वाहन का जाना सम्भव नहीं है ऐसे क्षेत्रों में अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्मिकों के द्वारा मैन्वली ठोस अपशिष्ट को एकत्र किया जा रहा है। (महिला कार्मिकों के द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न)
6	Street Garbage Collection and Segregation	पालिका के कार्मिकों के द्वारा स्ट्रीट सफाई से कूड़ा एकत्रीकरण के स्थलों पर भी ठोस अपशिष्ट पृथक्कीकरण किया जा रहा है।
7	Dry garbage compaction	ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूड़ा स्थलों से जो सूखा पुनः प्रसंस्कृत निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर के माध्यम से कम्पैक्ट किया जाता है।
8	Arrangement for making Silly from dry garbage	ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूड़ा स्थलों से जो ड्राई गारबेज निकाला जाता है उसको कम्पैक्ट करने तथा विक्रय किये जाने हेतु एक कम्पनी को हायर किया गया है। (कार्यादेश छायाप्रति संलग्न)। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इस व्यवस्था के कायम होने से एक तो ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर काफी कम मात्रा में गारबेज जा रहा है द्वितीय पालिका का काफी मात्रा में गारबेज शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाने लगा है। (कम्पैक्टर से सिल्लियां बनाये जाने की फोटोग्राफ संलग्न)
9	Dry Garbage Silly Selling	पालिका द्वारा हायर की गयी एजेन्सी के द्वारा माह अक्टूबर से मई 2025-26 तक कुल ₹0 1,93,680/- का ड्राई गारबेज विक्रय किया गया है। इस प्रकार 180 कि०ग्रा० ड्राई गारबेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर न जाकर शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये ले जाया गया।

अधिसाक्षी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी (गढ़वाल)

10	cleaning of trenching ground	ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर एजेन्सी को हर समय मुस्तैद रहने के साथ-साथ साफ-सफाई के निर्देश दिये गये हैं तथा कीटनाशक का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न)
11	Legacy Waste	उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-354254/iv-3/2025-12 (IISWM)/2025 दिनांक 18.12.2025 के क्रम में शहरी स्थायी निकायों में ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन के लिए शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड के स्तर पर गठित Ring fenced Account (non lapsable) में लक्षित धनराशि से नगर पालिका परिषद पौड़ी के लीगेसी वेस्ट निस्तारण व प्रसंस्करण हेतु वित्तीय व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹0 67.38 लाख के सापेक्ष धनराशि ₹0- 40.48 (लाख) स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा क्षेत्रान्तर्गत लीगेसी वेस्ट के निस्तारण प्रसंस्करण कार्य हेतु ई० निविदा www.uktender.gov.in के माध्यम से दिनांक 15.01.2026 से निविदाएं आमंत्रित की गई थी जो कि 28.01.2026 को खोली गई परन्तु एक ही निविदा प्राप्त होने के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई जिसके उपरान्त पुनः निविदा दिनांक 02.02.2026 को आमंत्रित की गई जो कि दिनांक 27.02.2026 को पूर्ण हो गई थी जिसमें स्वीकृत निविदादाता मै०- होरिजन सोल्यूशन को कार्य आदेश दिनांक 25 मार्च 2026 के माध्यम से लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु कार्य दिया गया था (कार्य आदेश छाया प्रति संलग्न है) स्वीकृत निविदादाता द्वारा अब तक किये गए कार्य की प्रगति विवरण संलग्न है (फोटोग्राफ्स भी संलग्न हैं)
12	Old Matter But at Present All Issue Resolve	यह कि यह वाद दिनांक 17.09.2023 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री किशोर बहुगुणा निवासी तिमली गाँव, पौड़ी के द्वारा योजित कराया गया है उस समय पालिका में श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात थे। पालिका के द्वारा समय-समय पर तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षरित आख्या पत्र सं० 503/न०पा०प०/2024-25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 के द्वारा तथा इस कार्यालय के पत्र सं० 994/NGT-SWM/2024-25 /दिनांक 13 दिसम्बर 2024, पत्र सं० 1078/न० पा०प०/पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 तथा पत्र सं० 1211/NGT 281-024/2025-26 दिनांक 03.10.2025 के द्वारा अनुपालन आख्या भेजी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)।
13	Field report of Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun	मा० एन०जी०टी० के पूर्व के आदेशों के क्रम में उस अवधि तक के कार्यों के सत्यापन के लिये सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र सं० यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा०-183-788/2024 /1328 दिनांक 11.12.2024 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कॉलोनी, देहरादून द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या में पालिका के किये गये कार्यों की पुष्टि की गयी है। (निरीक्षण रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न)।
14	Disposal System & Garbage Minimization	ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कम से कम कूड़ा जाये, इसके लिये गीले कूड़े जैसे सब्जियों आदि के लिये एक पृथक से सब्जी- एकत्रीकरण- वाहन शाम की शिफ्ट में चलाया जा रहा है और इसे पालिका द्वारा संचालित दो गौ सदनों (सिलेथ और द्वारीधार पौड़ी) में ले जाया जाता है इसके अच्छे परिणाम यह आये हैं कि अब इस प्रकार का वेस्ट नाली आदि में नहीं जा रहा है। (फोटोग्राफ्स संलग्न हैं)।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी (गढ़वाल)

15	Awareness	पालिका द्वारा प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने हेतु पालिका द्वारा सार्वजनिक सूचना संख्या- 1989/पौड़ी/2025-26 दिनांक मार्च 13, 2026 के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई जिसमें प्लास्टिक का प्रयोग न करने का अनुरोध इस आशय से किया गया कि यदि किसी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति अथवा व्यापारी प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो पालिका सम्बन्धित के विरुद्ध चालानी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके क्रम में पालिका द्वारा समय-समय चालानी आदि की कार्यवाही को अमल में लाया जाता है। पालिका द्वारा अक्टूबर माह 2025 से मई माह 2026 तक कुल 10 चालान किये गए जिसमें कि पालिका को धनराशि रु0- 2,300.00 प्राप्त हुए। पालिका द्वारा जिंगल के माध्यम से समय समय पर जन-जागरूकता अभियान भी संचालित किये जाते हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का स्रोत से ही पृथक्कीकरण कराने हेतु पालिका द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0-26/सार्व0सूच0/2025 26/पौड़ी दिनांक अप्रैल/04/2026 के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई जिसमें सभी घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को अपने कचरे को चार श्रेणियों में विभाजित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही स्पॉट फाइन/दण्डात्मक कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया। पालिका के वाहनों के द्वारा भी जिंगल के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद पौड़ी के द्वारा स्वच्छता बनाए रखने एवं सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में कूड़ा कचरा न फेलाने कूड़ा न जलाने, खुले में मूत्र त्याग न करने तथा सार्वजनिक स्थानों में न थूकने के संबंध में पालिका द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0-1989/सार्व0सूच0/2025-26/पौड़ी दिनांक मार्च 13, 2026 के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई जिसमें सभी नागरिकों, दुकानदारों, प्रतिष्ठानों एवं राहगीरों से उपरोक्त कार्यों को न करने का अनुरोध किया गया तथा स्पॉट फाइन/जुर्माना एवं आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया। पालिका के वाहनों के द्वारा भी जिंगल के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा परिसर के सीमान्तर्गत आने वाले समस्त भवन स्वामी जिनके शौचालय सैपिटक टैंक से संयोजित हैं पालिका द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0-1989/सार्व0सूच0/2025-26/पौड़ी दिनांक मार्च 13, 2026 के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई जिसमें सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया कि सैपिटक टैंक खाली करते समय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें व सैपिटक टैंक की सफाई एवं मल प्रबन्धन से संबंधित दिशा निर्देश भी दिये गए व दिशा निर्देशों का पालन न करने पर अर्थ दण्ड का भी उल्लेख किया गया। (सार्वजनिक सूचनाओं की छाया प्रति संलग्न है)।
16	SWM 2016 Rules and SWM 2026 Rules	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 के नियमों व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2026 के अनुपालन में पालिका द्वारा 05 मई 2026 को नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि का शासकीय गजट में प्रकाशन कराया गया है व उपरोक्त नियमों के अनुपालन में पालिका द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जागरूकता गतिविधियों को संचालन किया गया। प्रत्येक


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद पौड़ी
 पौड़ी (गढ़वाल)

		स्वच्छता वाहनो में SWM Rules 2026 के प्राविधानों के अनुरूप गीला सूखे के साथ ही सैनिटरी वेस्ट एवं स्पेशल केयर वेस्ट हेतु कैंन्टर लगवाये गये हैं तथा इस समय आम-जन को जागरूक करने हेतु दिनांक 06 जून 2026 से 12 जून 2026 तक डोर-टू-डोर प्रचार अभियान चलाया गया है। (संचालित गतिविधियों की सूची व फोटोग्राफ्स संलग्न है)।
17	Annual Report To Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2016 व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2026 के नियमों के अनुपालन में पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड उत्तराखण्ड, देहरादून को पालिका की SWM की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में दाखिल की जाती है।
18	Land allocation and disputes for solid waste management activities & Garbage disposal on cluster basis	नगर पालिका परिषद के द्वारा दैनिक उत्पादित ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु भूमि के चयन के लिए राजस्व विभाग एवं नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा देवप्रयाग मार्ग पर एक भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में भूमि को SWM Plant हेतु उचित पाया गया है। उपरोक्त भूमि को नगर पालिका के SWM Plant के आवंटन हेतु नगर पालिका द्वारा उपजिलाधिकारी पौड़ी को पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें अग्रेत्तर कार्यवाही उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा की जा रही है। (साक्ष्य संलग्न है)
19	Swachh Bharat Mission (Swachh Survekshan-2025-2026)	पालिका पौड़ी के SWM में किये गये प्रयासों के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026) के अन्तर्गत किये गए कार्यों का विवरण एवं SLP Documents सफलतापूर्वक पोर्टल पर upload कर दिये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कराये जा रहे फील्ड सर्वेक्षण के नतीजे अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं किये गए हैं जिसके कारणवश पालिका द्वारा अर्जित किये जाने वाली रैंकिंग का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। (साक्ष्य संलग्न)
20	Sending of compliance reports from time to time	मा0 न्यायाधिकरण के प्रकरण में पूर्व में किये गये अन्तरिम आदेशों के क्रम में गठित समिति द्वारा प्रथम बार दिनांक 20.09.2024 को तथा द्वितीय बार दिनांक 03.01.2025 को स्थलीय जॉच आख्या दी गयी है और वह रिपोर्ट जिलाधिकारी के पत्र क्रमांक 402/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 दिनांक 23 सितम्बर 2024 एवं पत्र क्रमांक 321/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024-25 दिनांक 08 जनवरी 2025 एवं पत्र क्रमांक सं0-1211/NGT 281-2024/2025-26 दिनांक अक्टूबर 03, 2025 के द्वारा मा0 न्यायाधिकरण को प्रेषित की गयी है। ट्रेचिंग ग्राउंड की मौका स्थल पर जॉच उ0 रा प्रदू0 नियन्त्रण बोर्ड उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा भी की गयी है जिसे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी की आख्या के साथ पूर्व में ही भेजा गया है पुनः संलग्न किया जा रहा है। (साक्ष्य संलग्न)
21	satisfaction of the complainant	शिकायतकर्ता द्वारा एक शपथपत्र भी मा0 न्यायाधिकरण नई दिल्ली तथा जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी को भेजा गया, जिसे जिलाधिकारी महोदय पौड़ी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 504/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024-25 दिनांक 09 जून 2025 के द्वारा मा0 न्यायाधिकरण नई दिल्ली को भेजा गया है। (साक्ष्य संलग्न)


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद पौड़ी
 पौड़ी (गढ़वाल)

इस प्रकार मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पूर्व में किये गये अन्तरिम आदेशों से पालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों को कराने के लिये जो मार्गदर्शन मिला है उससे पत्रावलियों पर सभी स्तरों पर निर्णय/स्वीकृति करने में तेजी आयी और रु0 62.70 लाख की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य, रु0 7.01 लाख कच्ची सड़क, पुरानी कम्पैक्टर मशीन को उपयोग में लाकर ड्राई गारबेज से सिल्लियाँ बनवाये जाने का अनुबन्ध करने का निर्णय/स्वीकृति, लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु निविदा द्वारा कार्य संचालन करना, ट्रेडिंग ग्राउंड के आस-पास तथा अन्य कूड़े स्थलों के पास सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना करना, चालानी कार्यवाही करना, E-Waste Store की स्थापना करना, रिपोर्टिंग अवधि तक रु0 1,93,680/- का ड्राई गारबेज का विक्रय, सब्जी/फल विक्रेताओं के सब्जिया-फल फ्रूट आदि गीले कूड़े को एक विशेष वाहन के माध्यम से पालिका के गौवंश में ले जाना आदि कार्य हुये हैं। पालिका पौड़ी के SWM में किये गये प्रयासों के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026) के अन्तर्गत किये गए कार्यों का विवरण एवं SLP Documents सफलतापूर्वक पोर्टल पर upload कर दिये गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा कराये जा रहे फील्ड सर्वेक्षण के नतीजे अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा जारी नहीं किये गए हैं जिसके कारणवश पालिका द्वारा अर्जित किये जाने वाली रैंकिंग का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। यह सभी कार्य मा0 NGT के निर्देशों, जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग तथा पालिका टीम के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है।

यहां पर यह भी अनुरोध करना है कि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2024 के बिन्दु न0 2(7) में आवेदन का निस्तारित कर दिया गया था। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अधिशासी अधिकारी जो कि समिति के सदस्य भी नामित थे, उनके हस्ताक्षरित रिपोर्ट उपरोक्तानुसार दोनों बार तथा पालिका के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रत्युत्तर के साथ भी दाखिल की गयी है। नगर पालिका परिषद पौड़ी का म्यूनिसीपल कौंसिल मानने की वजह/भ्रम के कारण म्यूनिसीपल कमीशनर की आख्या के न पाये जाने पर मा0 न्यायाधिकरण द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी थी, इस सम्बंध में दिनांक 09 जुलाई 2025 को स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी।

अतः प्रकरण में मा0 न्यायाधिकरण को अद्यतन रिपोर्ट दाखिल की जा रही है, इसलिए मा0 न्यायाधिकरण से उपरोक्त आवेदन अंतिम रूप से निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की जाती है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-पौड़ी
(पौड़ी गढ़वाल)

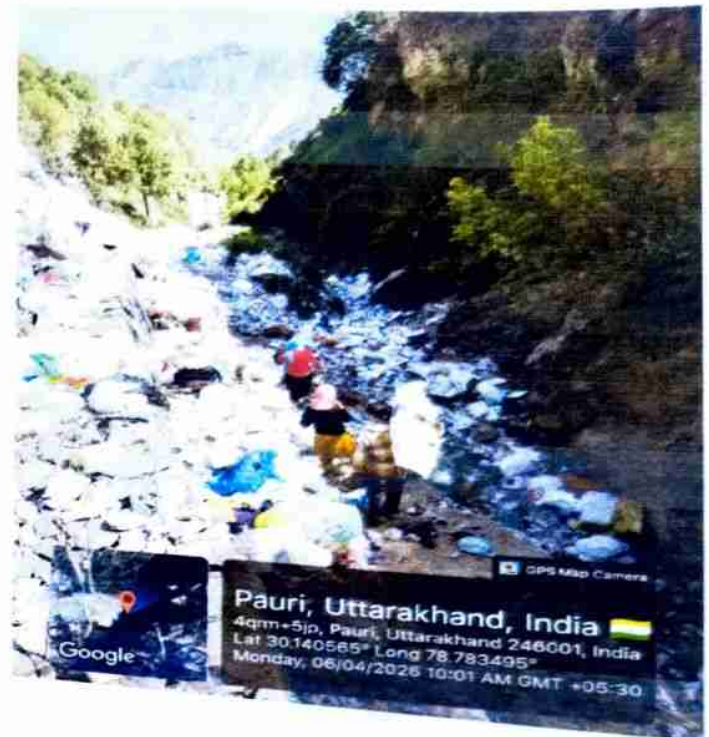
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ प्रेषित।

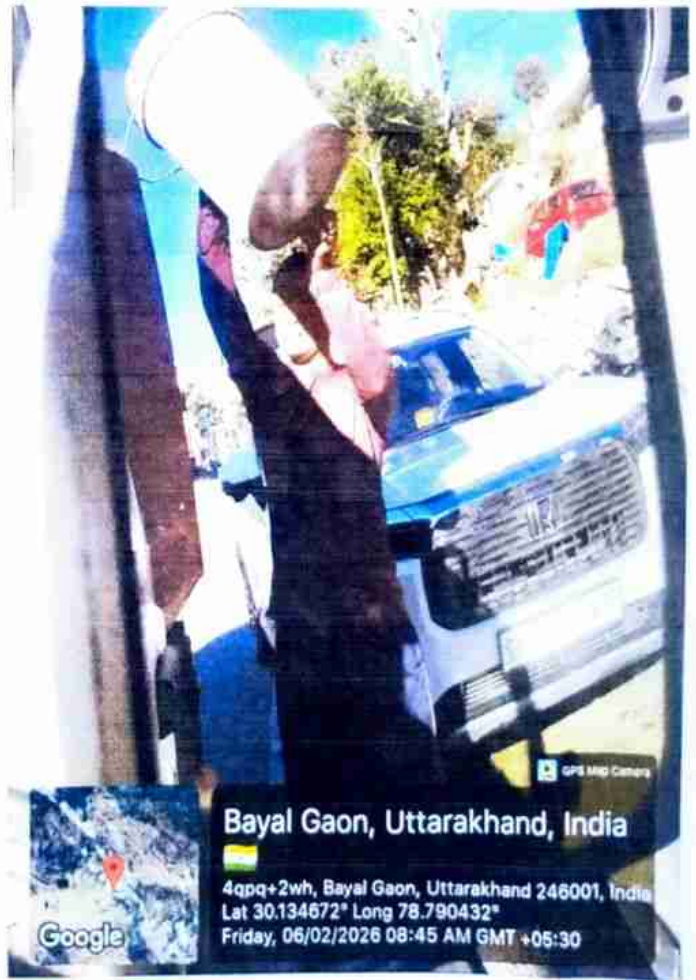
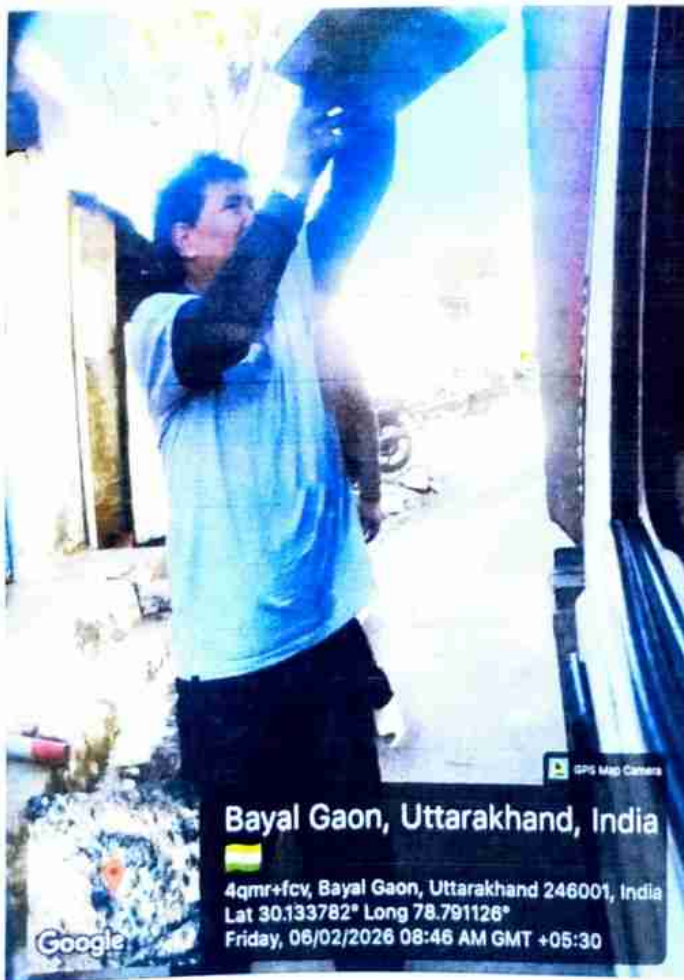
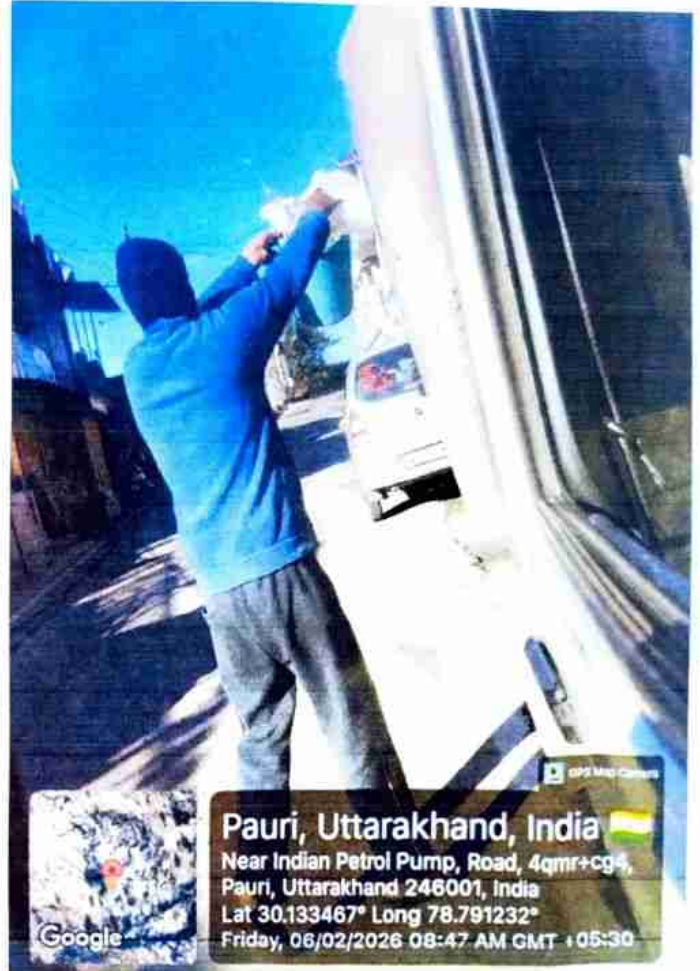
1- जिलाधिकारी महोदय, गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

**अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी (गढ़वाल)**

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-पौड़ी
(पौड़ी गढ़वाल)

2





॥ कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी ॥

संख्या-२५५/का० न०पा०प०

दिनांक 14 मई 2026

सेवा में,

माननीय समस्त सभासद
नगर पालिका पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल

विषय : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत अग्रणी मार्गदर्शक नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

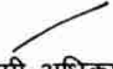
उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा० उच्चतम न्यायालय नैनीताल में योजित सिविल अपील सं०- 6174/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2026 एवं संयुक्त निदेशक महोदय शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के द्वारा दिनांक 18.03.2026 को पारित निर्देशों के अनुपालन में आपको अपने वार्ड का अग्रणी मार्गदर्शक नामित किया जाता है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 जो कि 01 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, का क्रियान्वयन अपने वार्ड में सुनिश्चित कराने के साथ ही आपसे यह भी अनुरोध करना है कि अपने वार्ड के प्रत्येक घरों से एकत्रित किये गए कूड़े का चार-स्तरीय पृथक्कीकरण(गीला, सूखा, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट) एवं पौड़ी नगर पालिका को 100% स्त्रोत पर पृथक्करण का लक्ष्य हासिल करने के लिये अपने वार्ड से अधिक से अधिक मात्रा में नागरिक शामिल कर उनकी सूची पालिका में प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

अतः महोदय आपसे अनुरोध है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत आपको अपने वार्ड में अग्रणी मार्गदर्शक नामित किये जाने के क्रम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु पालिका को अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे।


अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी

प्रतिलिपि

1- मा० अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी

253



मैसर्स भगवती फील्ड सर्विस प्रा0 लि0

16, स्वर्गलोक सराय, ज्वालापुर,

हरिद्वार ।

विषय:- नगर पालिका परिषद पौड़ी के पृथक तथा एकत्रित किये गये सूखे कूड़े से प्रोसिंग करते हुये कॉम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियों बनाना तथा उसे विक्रय किये जाने की कोटेशन स्वीकृति तथा कार्य आरम्भ किये जाने विषयक ।

उपरोक्त विषयक नगर पालिका परिषद पौड़ी के पृथक तथा एकत्रित किये गये सूखे कूड़े से प्रोसिंग करते हुये कॉम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियों बनाना तथा उसे विक्रय किये के कार्य हेतु कोटेशन आमन्त्रित की गयी थी, जिसमें आपकी फर्म मैसर्स भगवती फील्ड सर्विस प्रा0 लि0 की दर न्यूनतम रु0 24,000/- (रु0 चौबीस हजार) प्रतिमाह (जी0एस0टी सहित) स्वीकृत की गयी। अतः आप इस पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के भीतर 100 रु0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यादेश जारी होने के पश्चात् आप नगर पालिका परिषद पौड़ी के पृथक तथा एकत्रित किये गये/करते हुये सूखे कूड़े से प्रोसेसिंग करते हुये कॉम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियों बनाना तथा उसे विक्रय किये जाने की कार्यवाही निम्न शर्तों/नियमों के अधीन करना सुनिश्चित करेंगे।

- 1 इस कार्य की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 10 माह के लिये होगी। कार्य की सफलता के आधार पर इसे प्रथम बार 10 माह की अवधि तक के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- 2 कार्य आरम्भ करने की सूचना भी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे।
- 3 माह में तैयार 100 सिल्लियों का ट्रांसपोटेशन का व्ययभार एंजेन्सी का होगा तथा सिल्लियों की विक्रय राशि से 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा करनी होगी तथा इसके पर्याप्त दस्तावेज तैयार किये जायेंगे तथा संरक्षित रखे जायेंगे।
- 4 रु0 50,000/- की जमानत कार्यालय में बन्धक करके जमा करनी होगी।
- 5 गारबेज का प्रथकीकरण पालिका के कलैक्शन स्पोट तथा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर किया जायेगा। वहाँ से इसे मजबूत बैग में पालिका की पूर्व में स्थापित कॉम्पैक्टर मशीन के पास लाया जायेगा। सिल्लियाँ तैयार करने के पश्चात् पालिका के स्टोर में रखा जायेगा। परन्तु स्टोर में 100 सिल्लियों से अधिक किसी भी दशा में मान्य न होगा।
- 6 कॉम्पैक्टर वाले स्थान पर केवल 02 सिल्लियाँ ही चालू कार्य में रहेगी, वहाँ पर इससे ज्यादा सिल्लियाँ रखना प्रतिबन्धित होगा तथा बाहर कोई भी गारबेज नहीं डाला जायेगा।
- 7 एंजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सिल्लियाँ बनाने का कार्य दिन की क्लोजिंग पर कॉम्पैक्टर मशीन के अन्दर उत्तम दर्ज की साफ-सफाई करने के पश्चात् ही कार्मिक को भेजा जायेगा।
- 8 पृथकीकरण के लिये एंजेन्सी पूर्व में डोर-टू-डोर का कार्य कर रही कम्पनी की भी सहायता लेगी और अपने कार्मिकों के माध्यम से भी यह कार्य करायेगी। बेहतर होगा कि एंजेन्सी स्थानीय रैग पिकर को लिस्टेट कर उनसे स्थानीय स्तर पर एक निश्चित रकम तय कर कूड़ा ले लेंगे।
- 9 कॉम्पैक्टर मशीन पर होने वाला विद्युत का व्यय पालिका द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु कॉम्पैक्टर की मरम्मत सम्बन्धित एंजेन्सी के द्वारा की जायेगी।
- 10 सिल्लियों को मजबूत बायर से बाँधना होगा। प्रत्येक सिल्ली लगभग 60 कि0ग्रा0 से कम की नहीं होगी।

11. एजेंन्सी को प्रतिमाह सिल्लियो 60 कि०घाग तथा सरख्या में 100 जान पर ही भुगतान किया जायेगा। के आधार पर तथा उसकी दी गयी और पालिका से स्वीकार किये जाने वाली दर के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
12. एजेंन्सी द्वारा सिल्लियो की विक्री की 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा कर दिये जाने एवं लेखा/सफाई अनुभाग से पुष्टि हो जाने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
13. एजेंन्सी को सफाई कार्य में लागू कर कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
14. इस कार्य से पौड़ी शहर की गन्दगी से निजात दिलाने का कार्य होगा। कार्य की सफलता में पौड़ी शहर में पर्यावरणीय सन्तुलन में बढ़ोत्तरी होगी। कार्य से पौड़ी शहर की स्वच्छता की रैंकिंग में भी सुधार होगा और पौड़ी शहर एक साफ शहर तथा सुन्दर शहर बनाया जा सकेगा। कार्य से स्थानीय रैग पिकर्स यदि वह एजेंन्सी के साथ काम करना चाहेंगे तो उन्हें भी फायदा होगा और कार्य के विस्तारीकरण के पश्चात स्थानीय युवाओं को भी राजगार मिल सकेगा। फर्म को अधिकार होगा कि वह स्थानीय स्वयं संवी सरस्थाओं से भी सहयोग ले सकेंगी, परन्तु कार्य सवलेंट नहीं किया जायेगा।
15. इस कार्य की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 10 माह के लिये होगी। कार्य की सफलता के आधार पर इसे प्रथम बार 10 माह की अवधि तक के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
16. कार्य में लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा में यह अनुबन्ध 15 दिनों के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल एजेंन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा।
17. एजेंन्सी के द्वारा यदि समय से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरें प्राप्त की जायेगी, अथवा इन्ही न्यूनतम दरों पर किसी अन्य एजेंन्सी से कार्य लिया जा सकेगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. कार्य में लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा में यह अनुबन्ध 15 दिनों के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल एजेंन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. एजेंन्सी के द्वारा यदि अनुबन्ध अवधि से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरें प्राप्त की जायेगी।
20. यह कार्य उपरोक्त शर्तों तथा सम्पादित होने वाले अनुबन्ध के आधार पर निष्पादित किये जायेगा, परन्तु भवशिय में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम दोनों पक्ष आपस में विवाद को निपटायेगे। किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर विवाद का न्यायालय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र पौड़ी रहेगा।

अतः कृपया उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्यवाही एवं कार्य करना सुनिश्चित करें।

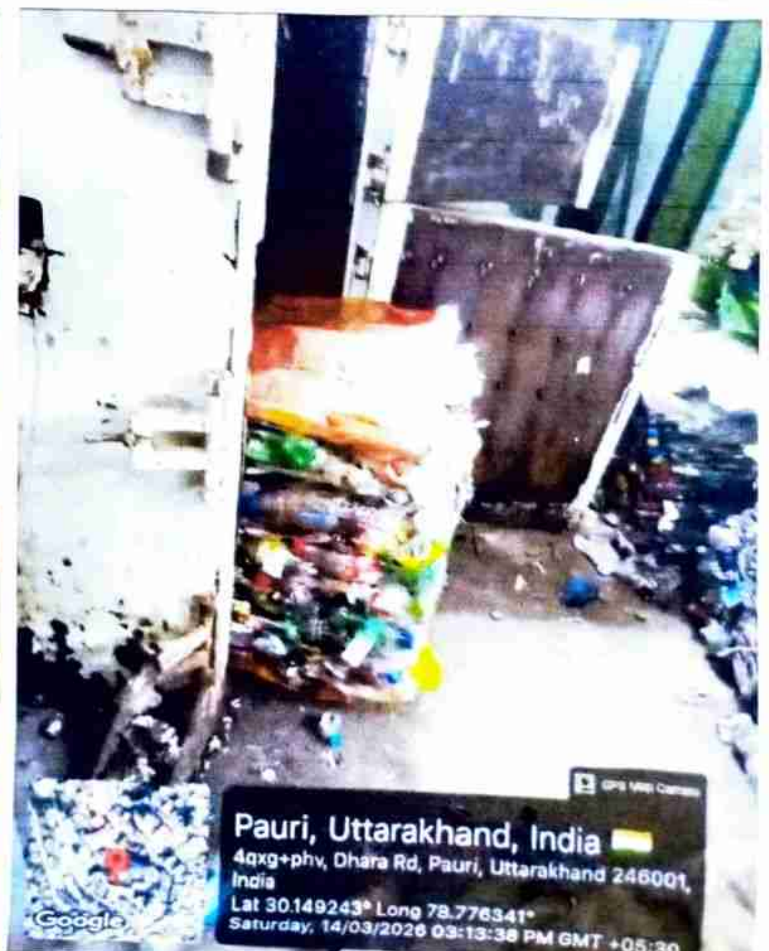
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल

पत्र सं० व दिनांक - तदैव-

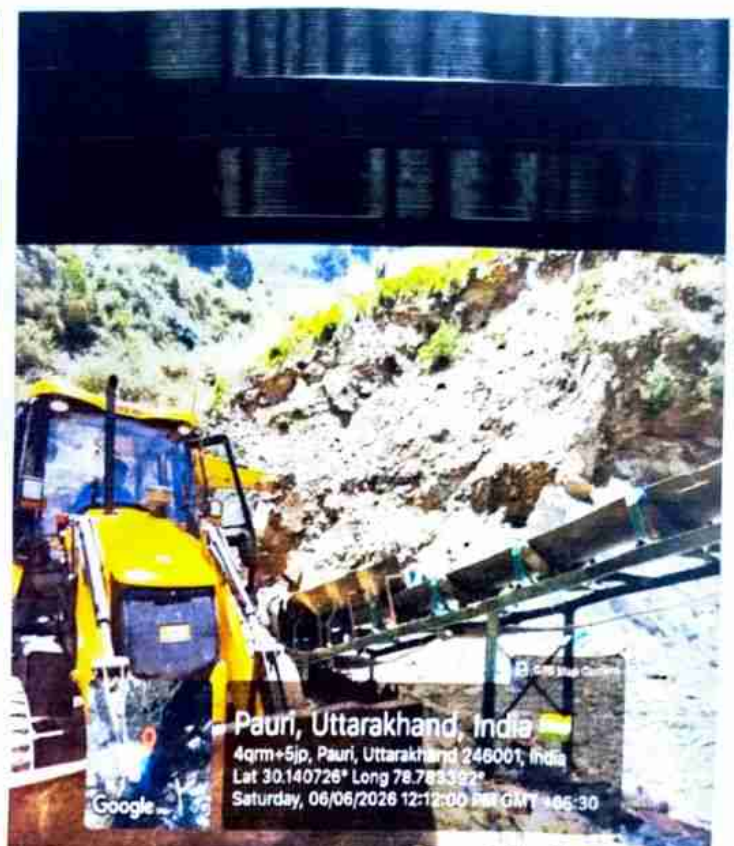
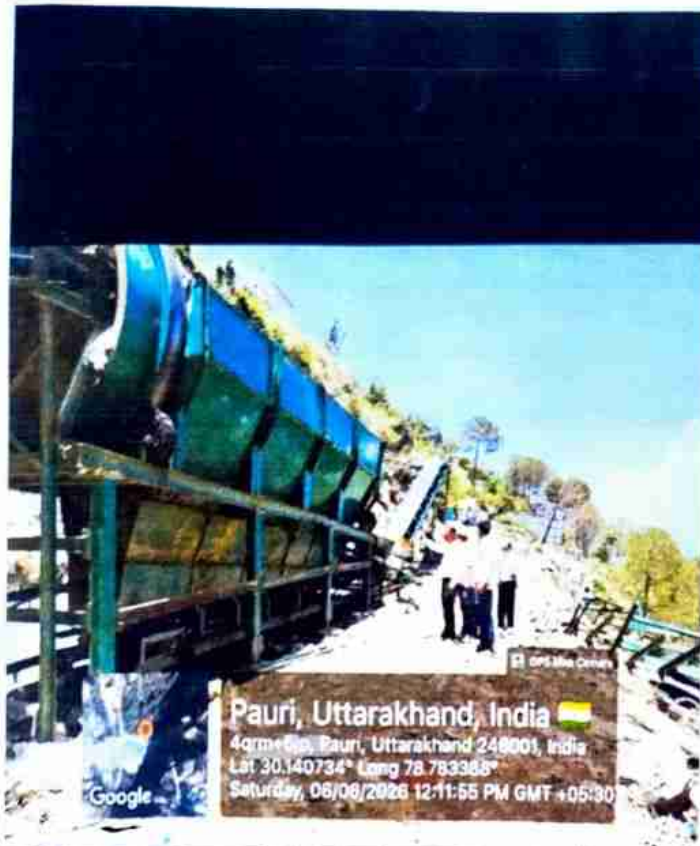
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल।
- 2- अध्यक्ष जी, नगर पालिका परिषद पौड़ी।

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल







कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-agarpalikapauri@gmail.com

संख्या: 2028-27 / ली0वे0निस्ता0 / स्वा0अनु0 / पीडी

दिनांक 25 मार्च, 2028

कार्य आदेश

मैसर्स,

होरिजन सोल्यूशन,
टी-1628/3 शंकर शाह
नगर वार्ड रामपुर, जबलपुर
मध्यप्रदेश।

विषय:- लीगेसी वेस्ट निस्तारण कार्यों के संबंध में।

उपरोक्त विषयक कूड़ा निस्तारण स्थल पर लीगेसी वेस्ट की बायोमैनिंग एवं रिक्लीमेशन कार्यों के निस्तारण हेतु गठित की गयी आर0एफ0पी0 में वर्णित निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप कार्य स्थल पर नियमानुसार कार्य किये जाने हेतु पालिका के साथ आपके द्वारा अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि निष्पादित किये गये अनुबंध एवं गठित आर0एफ0पी0 में वर्णित निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप दी गयी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत लीगेसी वेस्ट का मानकानुसार निस्तारण सुनिश्चित करतें हुए कार्य आरंभ किये जाने से पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्य स्थल के फोटोग्राफस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल।

प्रतिलिपि:-

1- मा0 अध्यक्ष महोदया, के अवलोकनार्थ एवं सादर सूचनार्थ प्रस्तुत।

2- श्री हेमन्त कुमार, सफाई निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित फर्म के द्वारा कार्य स्थल पर किये जा रहे निस्तारण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यों की दैनिक प्रगति के संबंध में निरीक्षण आख्या अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म से स्वयं अपनी देख-रेख में कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3- पत्रावली हेतु सुरक्षित

अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल।

कार्यालय-260 पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

पत्र-994 / NGT- SWM /2024-25 /

दिनांक दिसम्बर 13 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी

पौड़ी

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के तथा दिनांक 05/12/2024 पर पुनः आख्या दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 17202/21 प्रशा0अधि0/स्था0नि0/2024 दिनांक 11/12/2024 के साथ मा0 एन0जी0टी0 में योजित वाद स0 281/2024 में दिनांक 05/12/2024 के आदेशों के क्रम में निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि उक्त वाद में आदेश दिनांक 29.05.2024 के पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी पौड़ी के आदेश संख्या 72 दिनांक 31 अगस्त 2024 के द्वारा चार सदस्य समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा दिनांक 20.09.2024 को गारबेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या:-503/न0पा0प0/2024-25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 एवं पत्र संख्या:-620/न0पा0प0/2024-25/पौड़ी दिनांक 21 सितम्बर 2024 के द्वारा जिला कार्यालय पौड़ी को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय पत्र संख्या 402 /21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक 23 सितम्बर 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। उक्त जांच रिपोर्ट के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रैडिंग ग्राउंड में निम्न कार्यवाही की गयी है।

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।
2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।
3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुये 10 महीने के लिये एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।
4. उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7.636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुये अपने पत्र संख्या 3898/886/ SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रतः कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।
5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट न0-32 में 1.007हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिये अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।
6. वर्तमान गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रैडिंग ग्राउंड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदाएं आमन्त्रित की गयी है, ताकि गारबेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क से ही छँटाई के लिये ले जाया जाये। वर्तमान ट्रैडिंग ग्राउंड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं जिससे वर्तमान ट्रैडिंग ग्राउंड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका पौड़ी द्वारा वर्तमान गारबेज ट्रैडिंग ग्राउंड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही हैं, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनावंटन के लिये शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा शासन को 04 नवम्बर 2024 को स्वीकृति/धनावंटन हेतु भेजी गयी है। SWM के क्रियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जा रहा है। तब तक वर्तमान ट्रैडिंग ग्राउंड में ही उपरोक्तानुसार गारबेज का निस्तारण किया जा रहा है।

अतः पारित आदेशों के क्रम में पालिका के द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की आख्या मय दस्तावेजों के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

12/12/24

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल



LIFE
Lifestyle For
Environment

261

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"

46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून

E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-788 / 2024 / 1328

दिनांक 11.12.2024

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय,
ई-115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.005.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में प्रकरण पर गठित समिति में जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद पौड़ी की संयुक्त कमेटी द्वारा 20.09.2024 को प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया गया प्राप्त आख्यानसार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा प्रश्नगत स्थल पर संचालित निस्तारण स्थल में अव्यवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी थी। उपरोक्त के अनुपालन हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0 यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-788 / 2024 / 1293 दिनांक 03.12.2024 द्वारा उपरोक्त कार्यों में वर्तमान तक हुई प्रगति की आख्या 07 दिनों के अन्तर्गत प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्या संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि 03 दिनों के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन एवं नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा की जा रही कार्यवाही का सत्यापन कर अभिलेखों सहित अपनी स्पष्ट संस्तुति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपालन आख्या स-समय मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)

सदस्य सचिव

OK

कार्यालय-नगर मूलिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpanikapauri@gmail.com

संख्या 1025 / NGT- SWM /2024-25 /

दिनांक दिसम्बर, 17 2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय,
ई-115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषय- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण पर ग्राम तिमली लोवर चोपड़ा वार्ड न0 09 पौड़ी वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड/यार्ड के आज दिनांक 17.12.2024 के किये गये संयुक्त निरीक्षण में मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त वाद के पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में अनुपालन की अद्यतन स्थिति निम्नवत है।

- वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार लम्बाई 60 मी0 उंचाई 10.5 मी0 का कार्य करवाये जाने हेतु आमन्त्रित निविदा में न्यूनतम निविदादाता को कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा दीवार की फाउण्डेशन की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि संयुक्त निरीक्षण में मौका स्थल पर भी हुई है। कार्य आदेश एवं स्थल के फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।
- नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं।
- ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुये 10 महीने के लिये एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं।
- उपरोक्त ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुये अपने पत्र संख्या 3898/886/SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। पत्र में लीगेसी वेस्ट का स्थान नुटिवश माण्डाखाल लिखा गया है, इसके सम्बन्ध में निदेशालय को दूरभाष पर संशोधन हेतु अवगत करा दिया गया है, इसके अतिरिक्त संशोधन हेतु भी पत्र भेजा जा रहा है।
- पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड पर दाहिनी ओर उल्ली बीट न0-32 में 1.007हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। इसलिये अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण कार्य करवाया जा रहा है।
- वर्तमान गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमन्त्रित की गयी है, ताकि गारबेज को उपर से न डाल कर निर्मित होने वाली सड़क से ही छँटाई के लिये ले जाया जाये। इस कार्य में पथरों का खडंजा सड़क का प्राविधान किया गया है, जिसमें 300 मी0 लम्बाई तथा 3.65 मी0 चौड़ाई की सड़क खुदाई/ड्रेसिंग का कार्य हो चुका है। 150 मी0 पैदल रास्ता ओर भी बनाया जाना अवशेष है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। इससे सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं।
- वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं जिससे वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

इस प्रकार नगर पालिका पौड़ी द्वारा वर्तमान गारबेज ट्रेचिंग ग्राउण्ड में उपरोक्तानुसार व्यवस्थायें की गयी हैं, जिसका आज संयुक्त निरीक्षण भी किया गया है।

अतः आख्या प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल

263

मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.-183-788/2024/568 दिनांक 15.07.2024 के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024, प्रकरण ग्राम तिमली/ पौड़ी, नई विकास कॉलोनी, जिला-पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं०-119 में नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये:-

1. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. नगर निगम, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल एवं उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. उप जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. क्षेत्रीय अधिकारी (देहरादून), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद, पौड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौड़ी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड आते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
- 2- डम्पिंग साइट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थायी तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा घयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े (प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
- 3- बिन्दु सं०-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साइट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साइट पर विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) की स्वीकृति घनावंटन हेतु दिनांक 10.09.2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी०पी०आर० अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रसन्नगत् स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।
- 4- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रसन्नगत् डम्पिंग साइट की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रसन्नगत् स्थल की दूरी	टिप्पणी
नदी से दूरी	100 मीटर	डम्पिंग साइट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी० की दूरी पर एक बरसाती गंधरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साइट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	-
राजमार्ग से दूरी	200 मीटर	राजमार्ग से दूरी-0 मी०	-
आवास स्थलों से दूरी	200 मीटर	आवास स्थलों से दूरी-60 मी०	-
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मीटर	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी-03कि०मी०	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

जलापूर्ति कुओं से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुआं स्थित नहीं है।	-
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि०मी०	87 कि०मी०	-

- 5- नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2018 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़े के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गयी है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र संख्या:-29-07(19) 2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र संख्या:-08 बी०/यू०सी०पी०/०९/२१२/२०१६/एफ०सी०/२८२७ दिनांक १९ फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट (Solid Waste Management Plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) (कुल लागत-9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा शहरी विकास, निदेशालय, के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है (पत्र संख्या:-95/न०पा०प०-05/2024-25 पौड़ी दिनांक 15 मई 2024)। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गयी है (पत्र संख्या:-106/न०पा०प०/2024-25 दिनांक 20 मई 2024)। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान्ट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं०-5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमन्त्रित कर कार्यादेश संख्या:-557/न०पा०प०-07/2024-25 पौड़ी दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मीटर एवं निकटतम आवास से 140 मी० की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर०डी०एफ० को पृथक् कर विक्रय किया जा सकेगा।
- 7- प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है तथा बाउन्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित स्थल पर एक अस्थाई एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। जिससे सूखा कूड़ा एवं आर०डी०एफ० पृथक् कर विक्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 8- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साईट में अवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

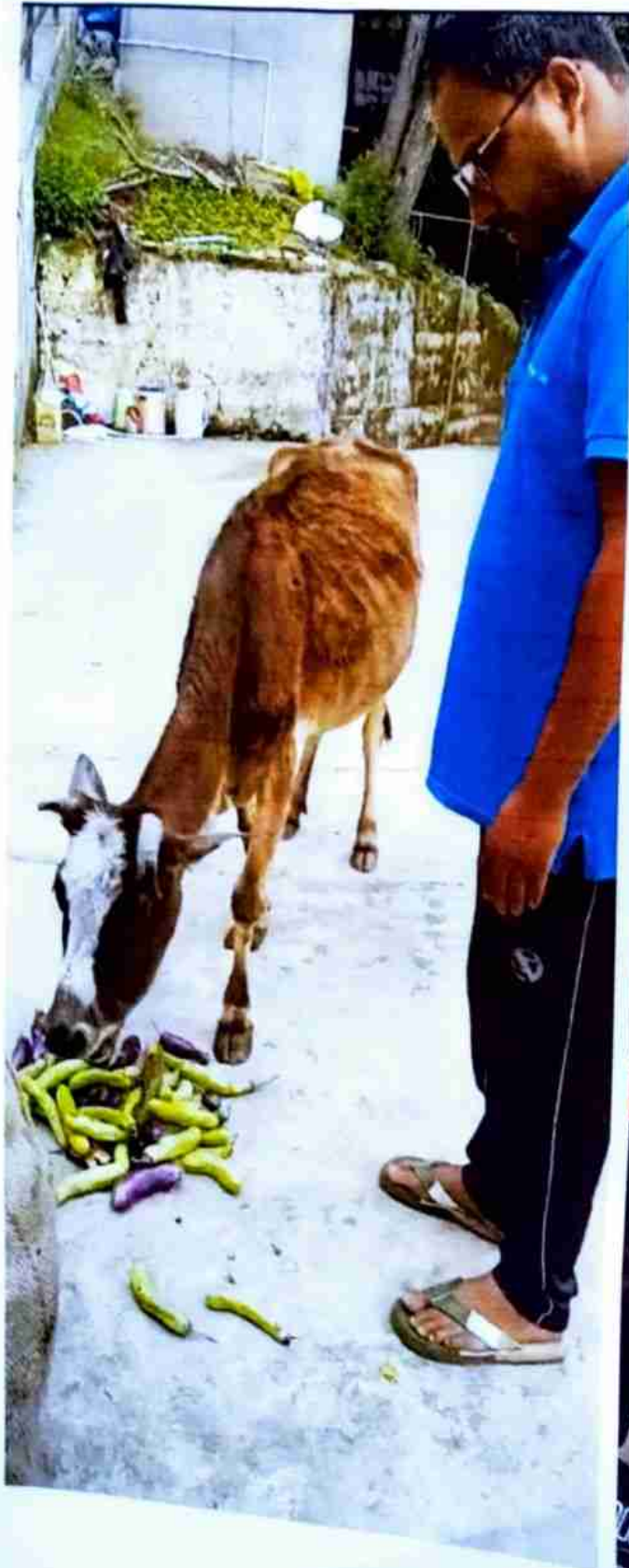
(परिवर्तन मसीन)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

(डॉ० राजकुमार धनुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

(दीपक रामचन्द्र शेट)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
(बी०) पौड़ी।

(अमनित अनिरुद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

21.09.24



प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रौतेला ने केंद्र की मोदी सरकार रसोई गैस (LPG) की कीमतों में हालिया बढोतरी को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर तोड़ रही हैं, जिससे घरेलू बजट बिगड़ गया है और गरीबों का चूल्हा बुझने की कगार पर पहुंच गया है।

आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रौतेला ने आरोप लगाया कि पिछले 12 महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपये से बढ़कर 1,100 रुपये तक पहुंच गई है, जो गरीबों के पेट पर सीधी चोट है। ज्योति रौतेला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें न्यूनतम स्तर पर होने के बावजूद सरकार ने जनता को सस्ते पेट्रोल-डीजल की राहत क्यों नहीं दी? उन्होंने पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) संकट का जिक्र करते हुए कहा कि

विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सरकार इससे इनकार कर रही है, जो उसकी विदेश नीति की असफलता को दर्शाता है। रौतेला ने अमेरिका के बयान का हवाला देते हुए पूछा कि जब अमेरिकी प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अनुमति है, तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने इसका खंडन क्यों नहीं किया। इससे साफ है कि सरकार टुंप की नीतियों के अनुसार चल रही है और देश की 140 करोड़ जनता की परवाह

नहीं कर रही। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने (LPG) कीमतों में बढोतरी पर सीधा हमला बोलाते हुए कहा कि देश में हाहाकार मचा है, लेकिन प्रधानमंत्री सामने आकर जनता से संवाद क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में किचन बंद होने और कर्नाटक में होटल एसोसिएशन द्वारा सिलेंडर की कमी से होटल बंद करने के ऐलान का जिक्र किया। रौतेला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि महंगाई चरम पर है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email: nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या: 1989 / पौड़ी / 2025-26

दिनांक: मार्च 13, 2026

सार्वजनिक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना सं० सा०का०नि० 571 (अ) के माध्यम से विभिन्न Single Use Plastic (120 माइक्रोन से कम मोटाई) से निर्मित उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर 30 जून 2022 से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

तदक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू है:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंड़े, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां तथा पॉलीस्टाइरीन (थर्माकोल) से बनी सजावटी सामग्री।

(ख) प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे आदि कटलरी, मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटने / पैक करने वाली प्लास्टिक फिल्म, निमंत्रण कार्ड एवं सिगरेट पैकेट की प्लास्टिक रैपिंग, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक / पीवीसी बैनर एवं स्टीकर आदि।

अतः सभी व्यापारियों, दुकानदारों, प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों से अपील की जाती है कि उपरोक्त प्रतिबंध का पूर्ण रूप से पालन करें। यदि किसी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति अथवा व्यापारी द्वारा उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा प्रचलित नियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अधिशाली अधिकारी

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद पौड़ी

नगर पालिका परिषद पौड़ी

पौड़ी-गढ़वाल।

पौड़ी-गढ़वाल।

धार्मिक सूचना: पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या

जलपट्टी से जल बौब भावक संघर्ष के मामले में जल कार्यवाही की भाग करेगा। इस मौके पर गणेश गोदियाल के साथ कवीर ईश्वराल, संजय गुसाई प्रमुख पोखड़ा, संजय जोशी कविप्रमुख आदि थे।

से जुड़ेंगी हेलाएं: थापा



दिया गया। साथ ही महिलाओं को इन कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। रिटायर्ड कर्नल अनिल थापा ने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं की प्रतिभा और आवश्यकताओं का आंकलन कर लिया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी एक से दो माह के भीतर महिलाओं को जरूरी मशीनें और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे रोजगार के नए अवसर सृजित कर सकें।

भांदोलन जारी रखने की चेतावनी

कालीन धरना

की जनभावनाओं के अनुसार तय समय पर कार्य हो। सभासदों द्वारा जिस प्रकार से खुद को ठेकेदार प्रथा से काम करने का दबाव डाला जा रहा है और राजनीति की हित में नहीं है। वहीं अधिशासी अधिकारी वारेद पंचवार ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 332 में स्पष्ट है कि सूचना अध्यक्ष की अनुमति से दी जाएगी। सभासद सूचना का अधिकार में यदि सूचना मांगते हैं तो उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस मौके पर सभासद मनीष कुकरोती, विशना देवी, लीला देवी, परवीन गुनसोला, सिद्धार्थ नौटियाल, सविता देवी व मनवीर उपस्थित रहे।

भूषण और आनपीठ सम्मानित लोखंडी डॉ. प्रतिभा राय को

कमल नदी तट पर फुटबॉल का रोमांच

पुरोला। मल नदी तट पुरोला खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दिनभर चले मुकाबलों में कई टीमों ने दमदार जीत दर्ज की, वहीं कुछ मैच बराबरी पर भी छूटे। दिन के प्रमुख मुकाबलों में पांडवाज ने टिहरी को 2-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं बडकोट और नाकुरी के बीच खेला गया मुकाबला कई संघर्ष के बाद ड्रा रहा। एक अन्य रोमांचक मैच में लमसिया ने काशी विश्वनाथ को 2-1 से हराया। इसके अलावा काठगोदाम की टीम ने कंगारू को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से शिकस्त दी। स्थानीय दर्शकों के लिए सबसे खास मुकाबला पुरोला एफसी और टिहरी एफसी के बीच रहा, जिसमें पुरोला एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1-0 से जीत दर्ज की।

अदालतों की सूचना

आज्ञा से श्रीमती जाफिया मातिन जज सी०डि० टिहरी।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) टिहरी

वाद संख्या 13 जन 2025

महर्षि वैदिक आर्गेनिक एपीकलर

इस्टाब्लिशमेंट बनाम अनिता सोनी।

महर्षि वैदिक आर्गेनिक एपीकलर प्रा० लि० कंपनी, अधिस विहाइड साइजिंग मॉर्निंग कॉलेज सरजूक विप्रेज कला सुरसिमाधर टिहरी गढ़वाल मु टिहरी उत्तरांचल।

गौरी

बनाम

श्रीमती अनिता सोनी पत्नी साहिब सोनी, निवासी-मिशन सेक्टर, कुमार हाटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश।

प्रतिवादी

गौरी की ओर से माननीय न्यायालय की समक्ष मुनवाद सं० 13 जन 2025 'महर्षि वैदिक' आर्गेनिक एपीकलर 'इस्टाब्लिशमेंट' बनाम अनिता सोनी इस न्यायालय में पेशित किया है और न्यायालय द्वारा एक मुनवाद की सुनवाई हेतु दिनांक 13/04/2025 की तिथि निर्धारित की गई है।

अज्ञात टिहरी (सी०डि०) अधिस कानूनी पाली सोलन हाटी, निवासी मिशन सेक्टर, कुमार हाटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश का पता सूचना दी जाती है कि न्यायालय के समक्ष में कोई टिहरी को कोई अनिता सोनी को यह स्पष्ट था कि न्यायालय के समक्ष से माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 13/04/2025 को प्रा० 10:00 बजे उपस्थित होकर अपनी अनिता प्रस्तुत करें, ऐसा करने में अन्यायपूर्ण रहन पर न्यायालय की पक्षपातपूर्ण आदेश प्रस्तुत नहीं की जायगी, उक्त अन्यायपूर्ण पर पक्षपातपूर्ण रूप से सुनवाई के उपरान्त अनिता को न्यायालय पर न्यायालय की मुद्रा सहित दिनांक 01/04/2025 को जमा किया गया।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित दिनांक 01/04/2025 को जमा किया गया।

आज्ञा से- प्रबन्धक

सिविल जज श्रीमतिर डिपिजन टिहरी

कालीन कहानी को साहित्य के विधानों ने सराहा और उत्कृष्ट

साहित्यकारों ने खुशी की लहर दौड़ा

स्वास्थ्य शिविर का उठाया लाभ

पौड़ी। उत्तरा केयर हॉस्पिटल में सुपर स्पेशियलिटी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 186 से अधिक मरीजों ने लाभ उठाया। शनिवार को श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विशेषज्ञों की टीम ने 186 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श और दवाइयां उपलब्ध कराईं। अस्पताल के संस्थापक इंद्रजीत सिंह नेगी ने बताया कि उनका लक्ष्य स्थानीय लोगों को उनके घर के पास ही सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस मौके पर डॉ. तनुज भाटिया, डॉ. अशपाल सिंह, डॉ. चित्ताबरा जोशी आदि मौजूद रहे।

कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या: 26/सार्वजनिक/2025 26/पौड़ी

दिनांक: अप्रैल/04/2026

सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत निकास क्षेत्र से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस (Construction and Demolition Waste) सामग्री का संग्रहण नगर पालिका के वाहन द्वारा किया जाएगा। इस हेतु प्रति ट्राईली 1000/- (एक हजार रुपये) का शुल्क नगर पालिका में जमा करना अनिवार्य होगा।

- 1 अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्था हेतु नागरिकों नगर पालिका परिषद पौड़ी के दूरभाष संख्या 9068721345 पर संपर्क कर सकते हैं।
- 2 उक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध 5000/- (पांच हजार रुपये) का जुर्माना वसूला जाएगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या: 26/सार्वजनिक/2025 26/पौड़ी

दिनांक: अप्रैल/04/2026

सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत नगर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर ही पृथक्करण (Source Segregation) करना अनिवार्य किया गया है। सभी घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को अपने कचरे को निर्धारित चार श्रेणियों में अलग अलग रखना सुनिश्चित करना होगा-

- 1 गीला कचरा (Wet Waste) - जैसे रसोई का जैविक कचरा, फल-सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि
- 2 सूखा कचरा (Dry Waste) - जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, पैकेजिंग सामग्री आदि।
- 3 घरेलू खतरनाक कचरा (Domestic Hazardous Waste) - जैसे बैटरी, बल्ब, ट्यूबलाइट, पेट, केमिकल, दवाइयों के अवशेष आदि।
- 4 स्वच्छता/सैनिटरी कचरा (Sanitary Waste) - जैसे डायपर, सेनेटरी नैपकिन, मास्क, वैडेंज आदि।
- 5 सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त श्रेणियों में कचरे को अलग-अलग कर नगर पालिका के कूड़ा संग्रहण वाहन को ही सौंपें तथा नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- 6 निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा प्रचलित नियमों के अनुसार स्पॉट फाइन/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी-गढ़वाल।

NOTIFICATION MANAGEMENT				
Filter Click to Select				
LIST OF NOTIFICATION				Action
Notification Type	Notification Date	Notification Status	Notification Message	
SWM	04-Apr-2026	Published	Has ULB notify tariff for sanitation	
General	13-Mar-2026	Published	Has the ULB issued a notification t	
Sanitation	13-Mar-2026	Published	Notified Ban on Manual hazardous	
General	13-Mar-2026	Published	Has the city enforced complete ban	
General	13-Mar-2026	Published	Has the ULB notified ban on the us	
General	13-Mar-2026	Published	Has the ULB notified ban on the us	
Sanitation	13-Mar-2026	Published	Has ULB notified fines against pers	
Sanitation	13-Mar-2026	Published	Has ULB Notify for ban of manual s	
Sanitation	13-Mar-2026	Published	Has ULB Notify for standard septic	
C & D	05-Apr-2026	Published	Has the ULB notified and enforced	
SWM	05-May-2016	Published	Has the ULB Notified Bye laws for c	
SWM	05-May-2016	Published	Whether the issued bye laws are dif	
General	05-Apr-2026	Published	Has any notification been issued to	
General	25-Jun-2022	Published	Has the ULB notified ban on the us	
General	25-Jun-2022	Published	Has the ULB notified ban on the us	
General	25-Jun-2022	Published	Has the ULB enforced Ban (monitor	
Sanitation	09-May-2022	Published	Has ULB notified for setting up of RS	
SWM	25-Jun-2022	Published	Has the ULB notified ban on the us	

Activities Under SWM 2016 Rules and SWM 2026 Rules					
Nagar Palika Parisad Pauri					
Oct. 2025 –May 2026					
S.NO	DATE	EVENT/ACTIVITY DISCRIPTION	TITLE	LOCATIO N	PARTICIPANT S
1	20 october 2025	A group of citizens students and nagar palika staff walk through residential wards with banners	To remind citizens to segregate waste(Dry,Wet and Hazardous)before the festiwal	pauri	IEC Team, Sanitary Inspector
2	23 January 2026	Door to Door Awareness about home composting and green waste management to welcome spring	Pamphets and waste workers	pauri	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector, SHG
3	02 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleniness drive in pauri district.	ward wise sanitation drive	Near Pwd Store Dev Prayag Road ,Pauri	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector, SHG
4	03 february 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district.	ward wise sanitation drive	Pooled house	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector ,SHG
5	04 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	Chwincha /Kandai /gaon	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector ,SHG
6	05 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	UPPER Bazar /SDM Awas	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector ,SHG
7	06	DM pauri directed to all	ward wise	Lower	IEC

	February 2026	nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	sanitation drive	Bazar/New Colony	Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector, SHG
8	07 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	Kandoliya /Teka Road View point	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector, SHG
9	09 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	Vikas Marg	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector SHG
10	10 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	RTO Office road	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector SHG
11	11 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	Timli Road	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector SHG
12	12 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	upper chopra view point	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector ,SHG
13	13 February 2026	DM pauri directed to all nagar palika of pauri garhwal to do massive cleanliness drive in pauri district	ward wise sanitation drive	Buwakhal	IEC Team,Brand ambassadors,S anitary Inspector SHG
14	25 February	Due to Swachh Survekshan 2025-26,Identify all GVP	Cleaning Drive on GVP points	Near Education	IEC Team,Brand

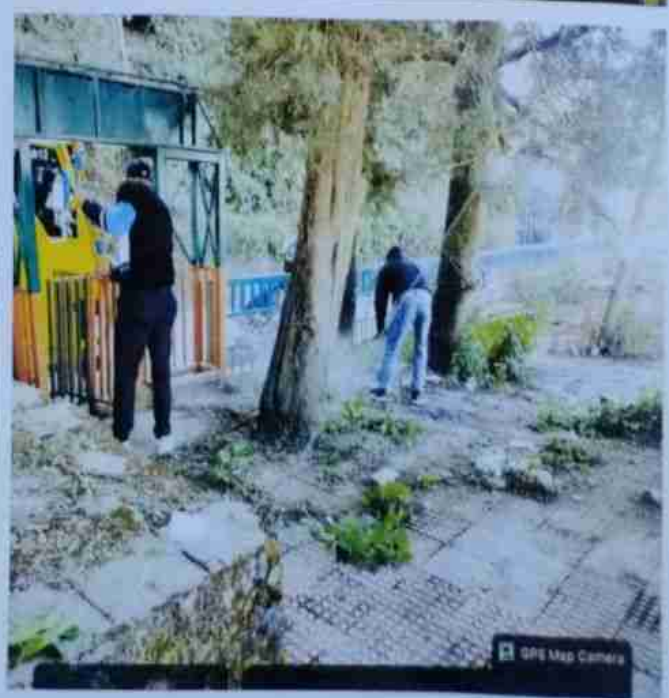
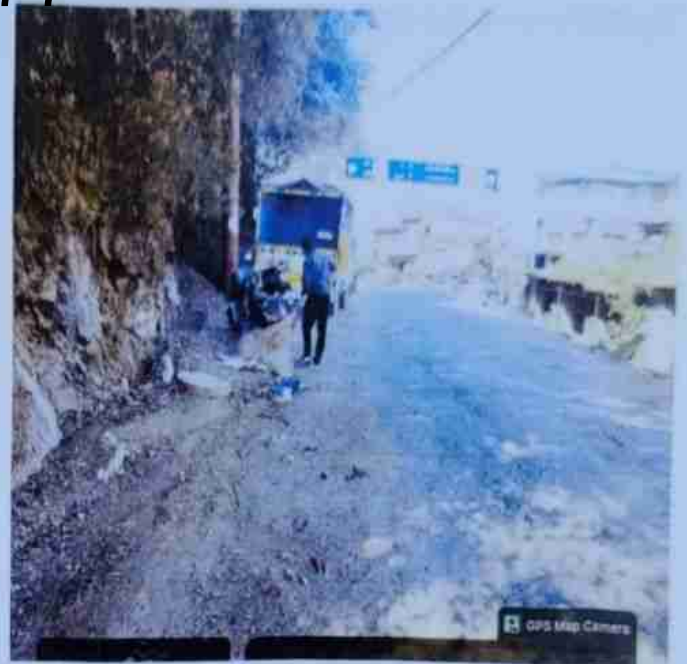
	2026	points in Nagar Palika Pauri area and cleaning drive is going on	on all wards	Office	ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
15	26 February 2026	Due to Swachh Survekshan 2025-26, Identify all GVP points in Nagar Palika Pauri area and cleaning drive is going on	Cleaning Drive on GVP points on all wards	near vishal wedding point	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
16	27 February 2026	Due to Swachh Survekshan 2025-26, Identify all GVP points in Nagar Palika Pauri area and cleaning drive is going on	Cleaning Drive on GVP points on all wards	chwincha /kandai gaon	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
17	4 March 2026	A Special post Holi Clean up Drive To Clear colour packets, wet waste and sanfireash from all streets	safai abhiyan	bus station	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
18	08 March 2026	Training/workshop organized for SHG women on 4-bin waste segregation, home composting, waste-to-wealth products, and personal hygiene under S BM. Participants were trained on segregation of wet, dry, sanitary and domestic hazardous waste with demonstration of home composting. Awareness was also given on proper handwashing and hygiene practices to promote better health and sanitation. SHG members were encouraged to create useful products from waste, promoting livelihood opportunity.	Workshop/Training of SHG Women	Nagar Palika Parishad Pauri	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG

19	13 March 2026	Door-to-door campaign	Source Segregation	Pauri	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
20	13 March 2026	IEC activity conducted in market areas for shopkeepers and street vendors to spread awareness about source segregation of waste, anti-littering practices, and the ban on single-use plastic (SUP). Participants were encouraged to keep their surroundings clean and hand over segregated waste to collection vehicles. The message "Apna Jhola Lekar Chalo" was promoted to reduce plastic use, and informative pamphlets were distributed to reinforce awareness and encourage responsible waste management practice.	Ban Sup/ Anti Littering	Market Pauri	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
21	12 March 2026	To instill the values of cleanliness and hygiene among students, a school Drawing and Essay Writing competition was organized under the Swachh Survekshan 2025.	Art and Drawing competition was held on school	Nehru Montessori School Pauri	IEC Team, Sanitary Inspector
22	07 April 2026	As per the instruction given by the UDD, from 7th April to 13th April Nagar Pallika Pauri is celebrating "Swatcha Saptha" under which today Nagar Pallika Pauri organised the Inauguration Program and also initiated mass cleaning drive at Upper Chopra Near	Vrihad swachhta abhiyan	upper chopra near yoga point	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG

		Yoga Point in which Officers along with other members of Nagar Pallika Pauri were also present.			
23	08 April 2026	As per the instruction given by the UDD, from 7th April to 13th April Nagar palika pauri is celebrating "Swachhta Saptah" under which nagar palika pauri organised the program and also initiate mass cleaning drive	Vrihad swachhta abhiyan	Bus Stand pauri	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
24	09 April 2026	As per the instruction given by the UDD, from 7th April to 13th April Nagar palika pauri is celebrating "Swachhta Saptah" under which nagar palika pauri organised the program and also cleaning drive Park, Mahatma Gandhi and CDS vipin Rawat statue cleaning and washing.	Vrihad swachhta abhiyan	Mahatma gandhi park, CDS vipin rawat Park	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
25	10 April 2026	The nagar palika sanitation workers thoroughly cleaned several public toilets at the bus station. The Sanitation Inspector was present on this occasion	Vrihad swachhta abhiyan	old bus station pauri	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
26	11 April 2026	on the occasion of the cleaning of a designated Garbage point by the nagar palika pauri the sanitation inspector, staff and sanitation workers were present.	Vrihad swachhta abhiyan	Akashvani bandd	IEC Team, Brand ambassadors, Sanitary Inspector, SHG
27	12 April 2026	The pauri nagar palika carried out a cleanup of the "red and yellow spots" at	Vrihad swachhta abhiyan	old bus station	IEC Team, Brand ambassadors, S

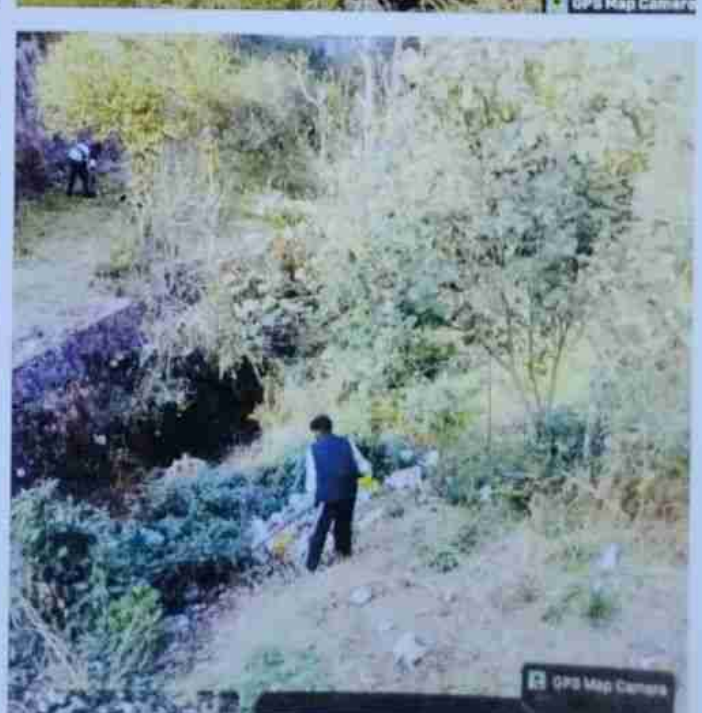
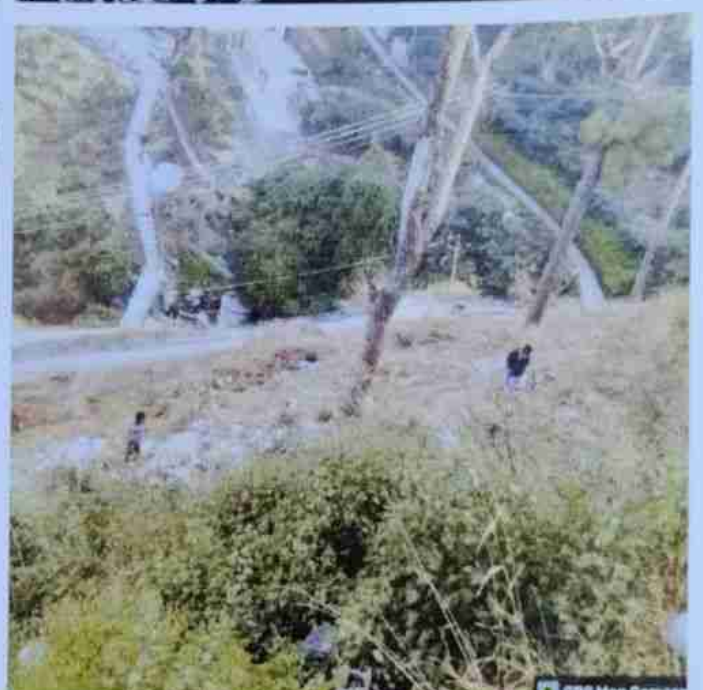
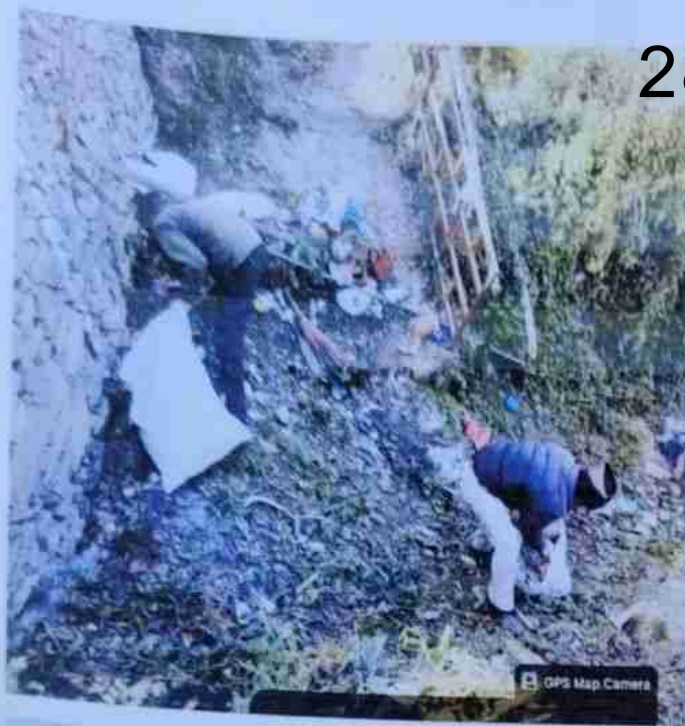
27	12 April 2026	The pauri nagar palika carried out a cleanup of the "red and yellow spots" at the old bus station ,and the sanitation inspector appealed to the city residents not to spit in any public places.	Vrihad swachhta abhiyan	old bus station	IEC Team,Brand ambassadors,Sanitary Inspector ,SHG
28	13 April 2026	under the aegis of the pauri nagar palika ,A cleanliness pledge was administered to the school principal,teachers and students by the sanitation inspector and ward member ,furthermore,a cleanliness drive was conducted within the school premises by the sanitation staff.	Vrihad swachhta abhiyan	SGRR SCHOOL AND SHISHU VIDHYA MANDIR SCHOOL	IEC Team,Brand ambassadors,Sanitary Inspector ,SHG
29	22 May 2026	Sanitary Inspector Attend the workshop in Haldwani Regarding Swachh survekshan	Workshop regarding SS26 and ODF	Haldwani	Sanitary Inspector

















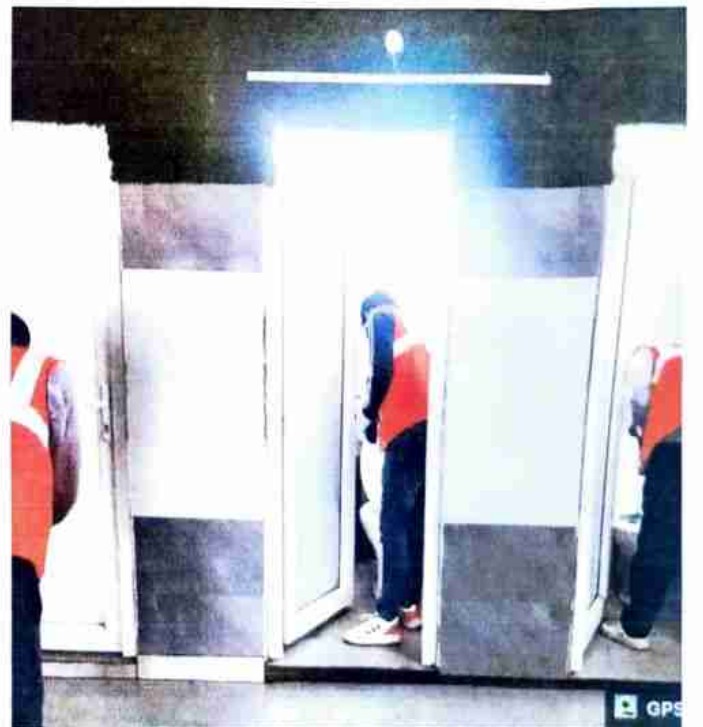
Kamand, Uttarakhand, India
 4qwg+wgr, Kamand, Uttarakhand 246001
 Lat 30.147366° Long 78.776264°
 Friday, 10/04/2026 02:23 PM GMT +05:30



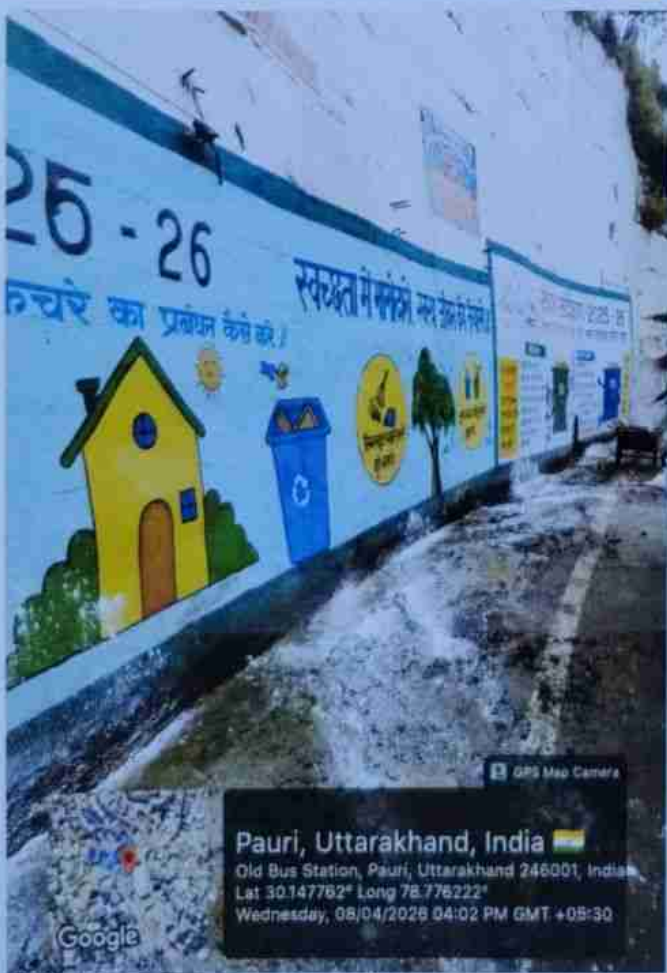
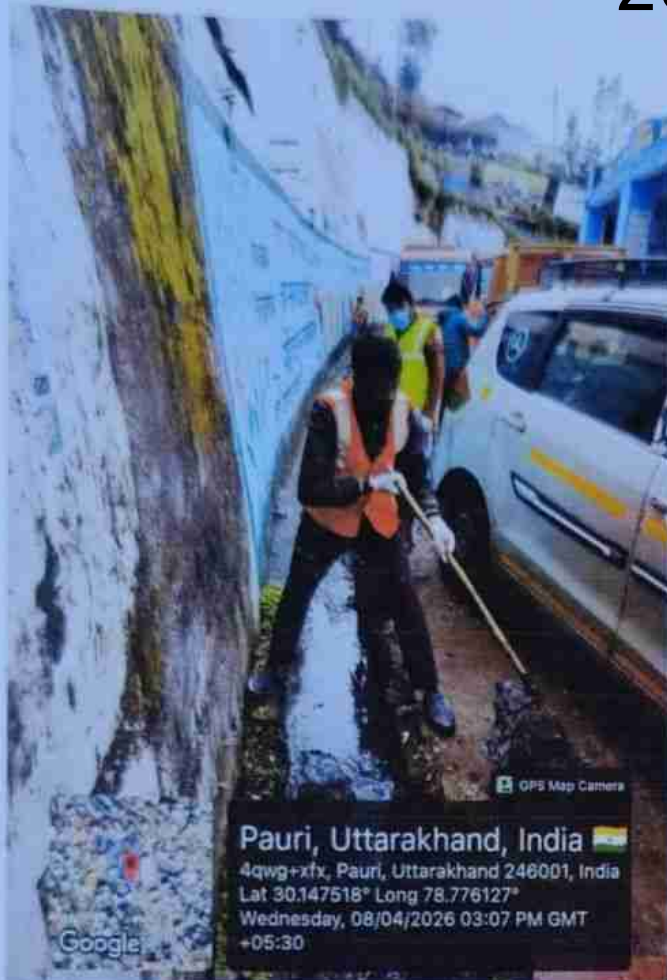
Pauri, Uttarakhand, India
 Old Bus Station, Pauri, Uttarakhand 246001,
 India
 Lat 30.147464° Long 78.776606°
 Friday, 10/04/2026 02:29 PM GMT +05:30



Pauri, Uttarakhand, India
 Old Bus Station, Pauri, Uttarakhand 246001,
 India
 Lat 30.147437° Long 78.776373°
 Friday, 10/04/2026 02:24 PM GMT +05:30



Pauri, Uttarakhand, India
 Old Bus Station, Pauri, Uttarakhand 246001,
 India
 Lat 30.147434° Long 78.776368°
 Friday, 10/04/2026 02:24 PM GMT +05:30



BEFORE



AFTER





सूखा अपशिष्ट प्रबंधन - पुनर्चक्रण एवं समाधान पुनर्प्रति

सूखा अपशिष्ट प्रबंधन (सिच) पर वेबिनार 01: पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पुनर्चक्रण और समाधान - पुनर्चक्रण और समाधान का इलाका

प्रमुख अवसरचना

इलाका 01

एमआरएफ

सामग्री पुनर्प्रति सुविधा

पुनर्चक्रण प्रणाली के लिए पुनर्चक्रण और समाधान
सिच - पुनर्चक्रण प्रणाली के लिए पुनर्चक्रण - समाधान
और पुनः उपयोग का इलाका

इलाका 02

आरडीएफ

असमीकृत धूलधूल पुनर्चक्रण

पुनर्चक्रण प्रणाली के लिए पुनर्चक्रण और समाधान
सिच - पुनर्चक्रण प्रणाली के लिए पुनर्चक्रण - समाधान
और पुनः उपयोग का इलाका

इलाका 03

डब्ल्यूटीई

अपशिष्ट से ऊर्जा संचयन

सिच - अपशिष्ट प्रणाली के लिए पुनर्चक्रण और समाधान
सिच - अपशिष्ट प्रणाली के लिए पुनर्चक्रण - समाधान
और पुनः उपयोग का इलाका

उद्देश्य

सिच

उद्देश्य

सिच



सर्वेक्षण 2026

कचरा नियोजन की विधि

जैविक कचरा

रसोई का कचरा

- चावल
- निकल
- भात के पत्र
- छाछ
- फल की छील
- बनसो का कचरा
- फल की छिलके
- पत्तियों का टुकड़ा
- पत्तियों का कचरा और अन्य इत्यादि

बगीचे का कचरा
(कोकल का कचरा में हो)

- जड़ी बूट
- पुस का पत्र
- लगा हुआ फल
- फल का छिलका

घरेलू रासायनिक कचरा

- पेन, कैंसरी पेन, बलम
- पेन, कैंसरी पेन, बलम
- पेन, कैंसरी पेन, बलम

सूखा कचरा

प्लास्टिक

- पुस का पत्र
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र

कागज

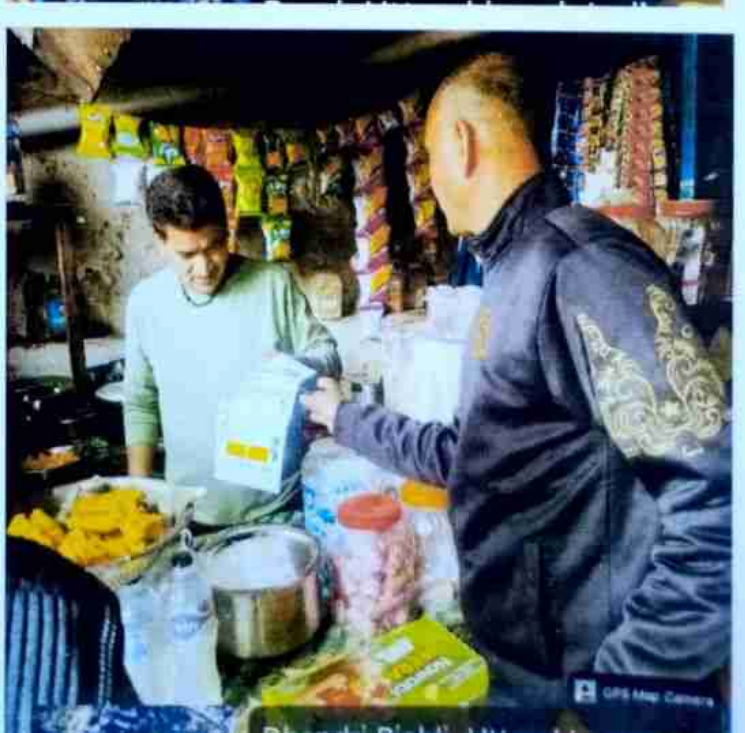
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र

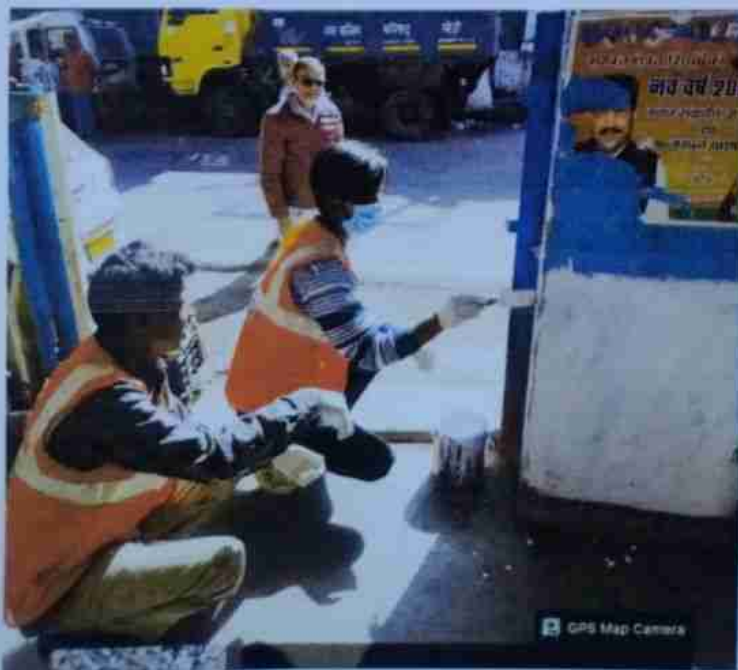
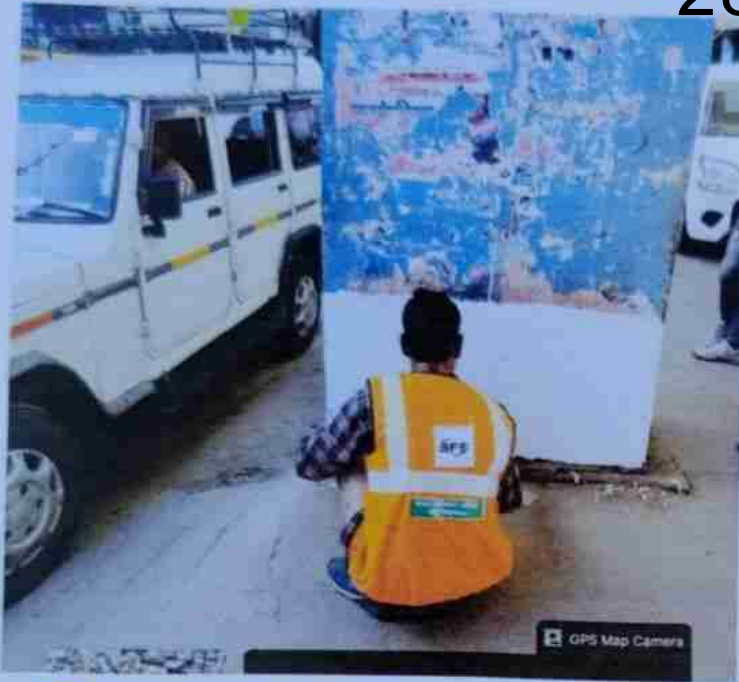
सूखा कचरा

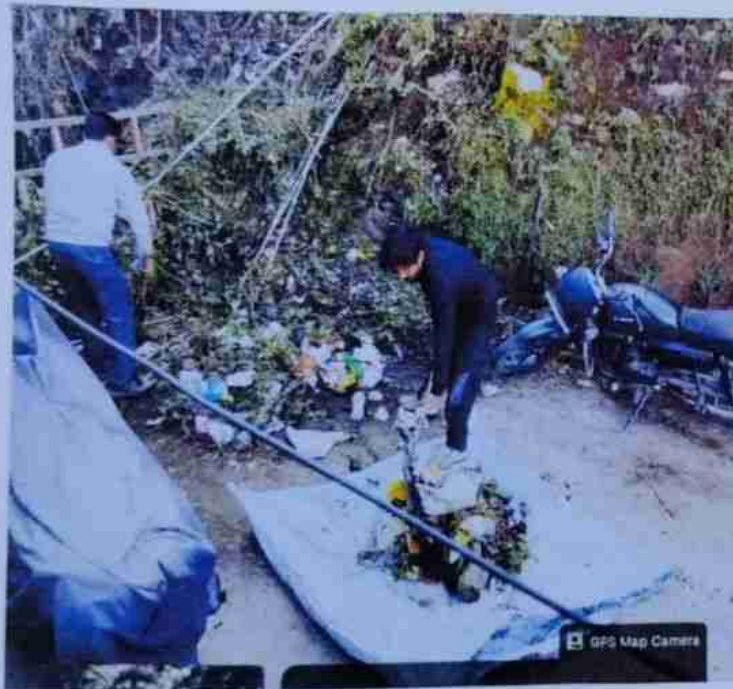
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र
- पुस का पत्र

इलेक्ट्रॉनिक कचरा

- कैंसरी पेन, बलम
- कैंसरी पेन, बलम
- कैंसरी पेन, बलम











कार्यालय-नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या:- 340 / न0पा0प0 / भूमि / 2026-27 / पौड़ी दिनांक 26 मई 2026

सेवा में,

उपजिलाधिकारी (बा0),
पौड़ी।

विषय:- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण नगर में कूड़ा निस्तारण की समस्या बनी रहती है। खाण्डयूसैण्ड देवार मोटर मार्ग पर ग्राम गणियां गांव पट्टी गगवाड़स्यू की नॉन जेड ए0 खतौनी संख्या 03व 04 में दर्ज श्रेणी 10 (4) भीटा/पथरीला वाली भूमि खसरा नं0 268, 335, 342, 421, 472, 479, 863, 795 कुल रक्वा 3.423 हे0 एन0सी0सी0 आकादमी की स्थापना हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग को जिलाधिकारी गढ़वाल के आदेश संख्या 220/8-एल0आर0सी0/2018-19 दिनांक 08.08.2019 को निशुल्क हस्तान्तरित की गयी थी। उक्त भूमि का उपयोग अभी तक भी सन्दर्भित प्रयोजन हेतु नहीं हो पाया है। भूमि मौके पर खाली पड़ी हुई है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी उक्त भूमि को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट की स्थापना हेतु चयनित किये जाने की सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण करने पर विदित हुआ कि उक्त भूमि ठोस अपशिष्ट प्लांट की स्थापना हेतु उचित प्रतीत होती है।

अतः अनुरोध है कि ग्राम गणियां गांव पट्टी गगवाड़स्यू तहसील पौड़ी की उपरोक्त 3.423 हे0 भूमि को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट की स्थापना हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को हस्तान्तरण करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय कुमार)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद पौड़ी।

प्रतिलिपि:-1- जिलाधिकारी महोदया, गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- अध्यक्ष महोदया, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

27/5

27/5/26

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी (गढ़वाल)

पत्रांक

1198

1/11/2026

106

दिनांक 13-6-2026

सेवा में

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी।

विषय:-

खाण्डूसैण से देवार मोटर मार्ग के समीप ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (SWM) हेतु चिन्हित भूमि के संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 405/एस0डब्ल्यू0एम0-सयु0निरी0/26-27 पौड़ी, दिनांक 3 जून 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के क्रम में दिनांक 04-06-2026 को इस शाखा के श्री योगेश जंगपांगी सहायक अभियन्ता के साथ आपके कार्यालय के श्री गौरव परमार, जिला प्रबन्धक एवं मो0 आरिफ कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एवं दिनांक 10-06-2026 को पुनः इस शाखा के श्री योगेश जंगपांगी सहायक अभियन्ता, श्रीमती रुचि असवाल अपर सहायक अभियन्ता एवं आपके कार्यालय के श्री सोहन सिंह असवाल अमीन एवं श्रीमती आशा कटारिया पटवारी पट्टी गन्दाहम्यु द्वारा चिन्हित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दिखायी गई चिन्हित लगभग 4000.00 वर्ग मीटर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2026 में निर्धारित वर्णित स्थल चयन सम्बन्धी मानकों, यथा नदी से 100 मी0, तालाब से 200 मी0 राजमार्ग, आवासीय क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यान एवं जलपूर्ति कूपों से 200 मी0 तथा हवाई अड्डे/वायु सेना अड्डे से निर्धारित दूरी का यह भूमि पूर्ण रूप से अनुपालन करती है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(सयुक्त कटारिया)
अधिशासी अभियन्ता

प्रोस0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रोतालय

1. जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मान0 अध्यक्ष महोदय नगदर पालिका परिषद, पौड़ी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

2019

INDICATIONS

Indicator	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Overall Score
Declaration Template	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 / 1
Visible Cleanliness	Q1: 6	Q2: 7	Q3: 7	Q4: 7	Q1: 7	Q2: 7	Q3: 7	Q4: 7	2 / 2
Segregation, Collection & Transportation of waste	Q1: 1	Q2: 1	Q3: 1	Q4: 1	Q1: 1	Q2: 1	Q3: 1	Q4: 1	2 / 2
Solid Waste Processing	Q3: 3	Q4: 3	Q1: 3	Q2: 3	Q3: 3	Q4: 3	Q1: 3	Q2: 3	4 / 4
Access to Sanitation	Q4: 1	Q1: 1	Q2: 1	Q3: 1	Q4: 1	Q1: 1	Q2: 1	Q3: 1	1 / 1
Used Water Management	Q5: 1	Q6: 1	Q7: 1	Q8: 1	Q9: 1	Q10: 1	Q11: 1	Q12: 1	1 / 1
Mechanization of desludging services	Q6: 1	Q7: 2	Q8: 2	Q9: 3	Q10: 3	Q11: 3	Q12: 3	Q13: 3	3 / 3
Advocacy for Swachhata	Q2: 1	Q3: 1	Q4: 1	Q5: 1	Q6: 1	Q7: 1	Q8: 1	Q9: 1	2 / 2
Ecosystem Strengthening & Institutional Parameters	Q8: 1	Q9: 2	Q10: 2	Q11: 2	Q12: 2	Q13: 2	Q14: 2	Q15: 2	2 / 2
Overall Welfare of Sanitation Workers	Q1: 1	Q2: 1	Q3: 1	Q4: 1	Q5: 1	Q6: 1	Q7: 1	Q8: 1	1 / 1

 [Book](#)
 [Write](#)
 [Read](#)
 [Search](#)
 [Add](#)
 [Remove](#)

DECLARATION FORMAT

DOCUMENTS & INFORMATION IN CONNECTION WITH THE PROCEEDINGS

संवा. में

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
46 वी.आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

Diary No. 5111
Date 24/9/24

संख्या- 402 / 21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0) / 2024 पौड़ी दिनांक सितम्बर 23, 2024.

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच.ओ/सा0-183-188 /2024/568 दिनांक 15.07.2024 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 में नगर पालिका पौड़ी द्वारा कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने एवं 02 माह अन्दर संयुक्त टीम का गठन करते हुए नियमानुसार आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में गठित संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 20-09-2024 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या निम्नानुसार प्रेषित की है:-

1. निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौड़ी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड अन्तर्गत कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
2. डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े(प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पेक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
3. बिन्दु सं0-2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट विगत वर्षों का लीगसी वेस्ट(Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10-09-2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गई है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।
4. टोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 की अनुसूची-1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्थिति

निर्धारित मानक

प्रश्नगत स्थल की दूरी

टिप्पणी

Dr. K. Singh

mm

21/9/24

तालाब से दूरी	200 मी०	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	-
राज्य मार्गों से दूरी	200 मी०	राजमार्गों से दूरी शून्य मी०	-
आवास स्थलों की दूरी	200 मी०	आवासों से दूरी 60 मी०	-
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मी०	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी 03 किमी०	-
जलापूर्ति कुआ से दूरी	200 मी०	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुआ स्थित नहीं है।	-
हवाई अड्ड से दूरी	20 कि०मी०	87 किमी०	-

- नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के मानदण्डों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़ों के पृथक्करण/प्रसस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लाट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गई है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र सं०- 29-07(19)2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र सं०- 08बी/यू०सी०पी०/09/2012/2016/एफ०सी०/2627 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लाट(Solid waste Management plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP)(कुल लागत 9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को पत्र सं०-95 /न०पा०पी०-05/2024-25 दिनांक 15 मई 2024 प्रेषित की गई है। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उक्त प्लाट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है, प्लाट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि विन्डु सं०-5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं। वर्तमान में डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिनांक 06-09-2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मी० एक निकटतम आवास से 140 मी० की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम०आर०एफ० केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर०डी०एफ० को पृथक कर विक्रय किया जा सकेगा।
- प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गंधरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर०सी०सी० बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20-09-2024 को आमंत्रित कर दी गई है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित सील पर एक अस्थाई

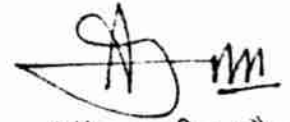
एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।

अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20-09-2024 को आमंत्रित कर दी गई है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साईट में अवस्थित Legacy Waste का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
भवदीय,

संलग्न:-यथोपरि।



(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

23/9/24

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

सेवा में

परामर्शदाता (न्यायिक),
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली।

संख्या: 321

/21-प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024-25 दिनांक पौडी जनवरी 08.2025

विषय:-

विधिक आवेदन सं0- 123/2024 में मूल आवेदन सं0- 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05-12-2024 को पारित आदेश जिसके द्वारा विधिक आवेदन सं0- 123/2024 में मूल आवेदन सं0- 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 29-05-2024 के अनुसार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2- इस सम्बन्ध अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित विधिक आवेदन सं0-123/2024 में मूल आवेदन सं0-281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य पारित आदेश दिनांक 29-05-2024 के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 20-09-2024 को गार्बेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 23-09-2024 के पश्चात भी पालिका स्तर से वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड में निम्न कार्यवाही की गई है:-

1-वर्तमान में गार्बेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गार्बेज को नीचे न जाये, पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ़ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा।

2-नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिए एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्डों में वाहन के माध्यम से एवं पगडंडियों मार्ग से एजेन्सी के कर्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गार्बेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3-ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विक्रय के लिए भेजे जाने हेतु कॉम्पेक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुए 10 महीने के लिए एजेन्सी को अधिग्रहित किया गया है, उनके द्वारा ड्राई गार्बेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है।

4-उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गई थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र सं0- 3898/886 /SBM/SWM/ली0वे0/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5-पौडी में ठास अपशिष्ट प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिसू रोड पर दाहिनी ओर उत्तरी बीट न0-32 में 1.007 हे0 भूमि नगर पालिका परिषद पौडी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है, इसलिए अन्य स्थान पर भूमि का चिह्निकरण कार्य करवाया जा रहा है।

6-वर्तमान गार्बेज निस्तारण स्थल पर ट्रेडिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, ताकि गार्बेज को ऊपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सड़क में ही छटाई के लिए ले जाया जाये। वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिये गये हैं, जिसमें वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।



जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

कार्यालय-नगरपालिका परिषद पौडी

E-mail-nagarपालिकापौडी@gmail.com

संख्या / NGT 281/2024/2025 26

दिनांक अक्टूबर 2025

समा में

जिलाधिकारी
पौडी

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं0/2924 मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड में अद्यतित अनुपालन आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र सं0 255/21-प्रशा0अधि/स्था0नि0/2024 दिनांक 09 मई 2025 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा पारित दिनांक 09/07/2025 के क्रम में पालिका को शिकायत के क्रम में अद्यतित अनुपालन आख्या निम्नवत है।

क्र0	अनुपालन किये जाने हेतु सन्दर्भ	अद्यतित अनुपालन विवरण
1	2	3
1	Application and photograph of the complainant	शिकायतकर्ता के फोटोग्राफ प्राप्त हो गये हैं, जो कि वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड के हैं। फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे गारबेज का निस्तारण निम्न प्रकार किया गया है।
2	Stop Garbage disposal from the main road	वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड एक ढालदार भूमि है पूर्व में गारबेज को मुख्य मार्ग के किनारे से ही डाला जाता था। वर्तमान में ऊपर से मुख्य भाग से लगभग 600 मी0 अन्दरूनी मार्ग से ट्रेचिंग ग्राउण्ड की ढालदार भूमि के सबसे निचले भाग के बीच में पहाड की कटिंग करवाकर एक कच्ची सड़क का निर्माण कराया गया। अब कच्ची सड़क से ही गारबेज को डाला जा रहा है और कच्ची सड़क पर ही अब शेष गारबेज सैमीगेशन का कार्य अनुबन्धित एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। (वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड से सम्बन्धित फोटो संलग्न)
3	Wall work in trenching ground	वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में नीचे खाई में कूड़ा न जाये, इसके लिये मा0 न्यायाधिकरण के बाद में अन्तरित आदेशों के क्रम में निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दरें प्राप्त करते हुये रू0 69.95 लाख की दीवार तथा बायर केट का कार्य भी 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।
4	Door-to-door garbage collection and its arrangement	नगर के सभी 11 वार्डों के फ्रैश गारबेज के एकत्रीकरण के लिये एक प्राइवेट एजेन्सी को अनुबन्धित किया गया है। (अनुबन्ध छायाप्रति संलग्न)। अनुबन्धित एजेन्सी के द्वारा मुख्य मार्गों पर 04 वाहनों से जिसमें जागरुकता के जिंगल भी बजाये जाते हैं कूड़ा एकत्र किया जाता है (वाहनों के माध्यम से कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न)
5	Arrangement of door-to-door garbage collection on footpaths of Pauri city	इस पर्वतीय क्षेत्र की पालिका के गमडण्डी मार्गों पर महिला कार्मिकों के माध्यम से कूड़ा एकत्र किया जाता है। (महिला कार्मिकों के द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण करने के फोटोग्राफ संलग्न)
6	Street Garbage Collection and Segregation	पालिका के कार्मिकों के द्वारा स्ट्रीट सफाई से कूड़ा एकत्रीकरण के रखरखाव में गारबेज सैमीगेशन किया जा रहा है।
7	Dry garbage compaction	ट्रेचिंग ग्राउण्ड तथा अस्थायी कूड़ा स्थलों से जो झाई मार्बल निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर किया जाने लगा है।

7	Arrangement for making Silly from dry garbage	ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर जलपायी कूड़ा स्थलों से जो ड्राई गारबेज निकाला जाता है उसको कम्पैक्टर करने तथा विक्रय किये जाने हेतु एक कंपनी को हायर किया गया है। (कार्यादेश छायाप्रति संलग्न)। इसके काफी अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इस व्यवस्था के कायम होने से एक तो ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर काफी कम मात्रा में गारबेज जा रहा है द्वितीय पालिका का काफी मात्रा में गारबेज शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये भेजा जाने लगा है। (कम्पैक्टर से सिल्लियां बनाये जाने की फोटोग्राफ संलग्न)
9	Dry Garbage Silly Selling	पालिका द्वारा हायर की गयी एजेन्सी के द्वारा माह दिसम्बर से सितम्बर 2025 तक कुल रु0 4,26,840/- का ड्राई गारबेज विक्रय किया गया है। इस प्रकार 35520 कि०ग्रा० ड्राई गारबेज ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर न जाकर शहर से बाहर रिसाईकिलिंग के लिये ले जाया गया।
10	cleaning of trenching ground	ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर एजेन्सी को हर समय मुस्तैद रहने के साथ-साथ साफ-सफाई के निर्देश दिये गये हैं तथा कीटनाशक का छिड़काव लगातार कराया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न)
11	Legacy Waste	ट्रेडिंग ग्राउण्ड के लीगेसी वेस्ट को कम्पनी के कार्मिकों के द्वारा फ्रैंश वेस्ट के साथ-साथ काफी मात्रा में मैनुवल सेग्रीगेट कर सिल्लियां बनवायी गयी है। अवशेष लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु संशोधित डी०पी०आर० शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड की आपत्ति के पश्चात जनपदीय तकनीकी समिति पौड़ी से अनुमोदित कराकर पालिका के पत्र सं० 360/लीगेसी वेस्ट/2025-26 दिनांक 13 मई, 2025 के द्वारा शहरी विकास निदेशालय देहरादून को भेजी गयी थी। (पत्र छायाप्रति संलग्न)। निदेशालय से उक्त डी०पी०आर० का परीक्षण पत्र दिनांक 15.07.2025 के द्वारा अपर सचिव, श० विकास विभाग, उ०शासन को अन्तिम स्वीकृति एवं धनावंटन हेतु भेजा गया है। शासन से स्वीकृति तथा धनावंटन होने पर अवशेष लीगेसी वेस्ट का निस्तारण यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।
12	Old Matter But at Present All Issue Resolve	यह कि यह वाद दिनांक 17.09.2023 को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में श्री किशोर बहुगुणा निवासी तिमली गॉव, पौड़ी के द्वारा योजित कराया गया है उस समय पालिका में श्री गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी पद पर तैनात थे। पालिका द्वारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री गौरव भसीन के हस्ताक्षरित आख्या पत्र सं० 503/न०पा०प०/2024-25/पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 के द्वारा तथा इस कार्यालय के पत्र सं० 994/NGT-SWM/2024-25 /दिनांक 13 दिसम्बर 2024, पत्र सं० 1078/न० पा०प०/पौड़ी दिनांक 03 जनवरी 2025 तथा पत्र सं० 127/NGT 281-024/2025-26 दिनांक 19 अप्रैल 2025 के द्वारा अनुपालन आख्या भेजी गयी है। (साक्ष्य संलग्न)।
13	Field report of Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun	मा० एन०जी०टी० के पूर्व के आदेशों के क्रम में उस अवधि तक के कार्यों के सत्यापन के लिये सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून के पत्र सं० यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./सा०-183-788/2024 /1328 दिनांक 11.12.2024 के क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० नियन्त्रण बोर्ड नेहरु कॉलोनी, देहरादून द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या में पालिका के किये गये कार्यों की पुष्टि की गयी है। (निरीक्षण रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न)।
14	Disposal System & Garbage Minimization	ट्रेडिंग ग्राउण्ड में कम से कम कूड़ा जाये, इसके लिये गोले कूड़े जैसे सब्जियों आदि के लिये एक पृथक से सब्जी- एकत्रीकरण- वाहन शाम की शिफ्ट में चलाया जा रहा है और इसे पालिका के गोशाला में ले जाया जाता है इसके अच्छे परिणाम यह आये हैं कि अब इस प्रकार का वेस्ट नालियों आदि में नहीं जा रहा है।

15	Awariness	पालिका द्वारा नए प्रयोग कम से कम करें, जिनमें छोटा जामरुकता के साथ साथ वाजनी कार्यवाही भी की जा रही है।
16	SWM 2016 Rules	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियम 298 के अनुपालन में पालिका द्वारा 05 मई 2016 को नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) अपविधि का शासकीय मजल में प्रकाशन कराया गया है।
17	Annual Report To Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियम 17(2) के अनुपालन में पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड उत्तराखण्ड, देहरादून को पालिका की SWM की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में दायित्व की जाती है।
18	Land allocation and disputes for solid waste management activities & Garbage disposal on cluster basis	नगर पालिका परिषद पौड़ी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मांडाखाल खिसू रोड उल्टी बीट नं०-32 जिला-पौड़ी में 1.007 हेक्टेयर भूमि चयनित व स्वीकृत की गयी थी, जिसमें दिनांक 04.03.2023 को पर्यावरण स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी, परन्तु जनविरोध के चलते उक्त भूमि पर वर्तमान तक कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। जिस क्रम में नगर पालिका पौड़ी द्वारा तहसील प्रशासन पौड़ी से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि की मांग की गयी थी। 2- जिस क्रम में तहसील प्रशासन पौड़ी द्वारा ग्राम बैजवाडी पट्टी नांदलस्यू तहसील पौड़ी गढवाल की नॉन जेड०ए० खतौनी (श्रेणी-9 खाते से बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि) खाता संख्या-03 के खेत नं० 3441 रकबा 26.218 हे० मध्ये 0800 (40 नाली) भूमि जो कि वन पचायत के नाम दर्ज अभिलेख भूमि चयनित की गयी है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निस्तारण किया जाना है। उक्त भूमि को हस्तान्तरित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया गढवाल को पत्र प्रेषित किया गया है। (साक्ष्य संलग्न है)
19	Swach Bharat Mission All India Ranking	पालिका पौड़ी के SWM में किये गये प्रयासों के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन 2024 में दिनांक 17 जुलाई 2025 को घोषित परिणाम के तहत इस शहर की All India Ranking विगत वर्ष की रैंकिंग 3252 से सुधार कर 1281 आयी है। (साक्ष्य संलग्न)
20	Sending of compliance reports from time to time	मा० न्यायाधिकरण के प्रकरण में पूर्व में किये गये अन्तरिम आदेशों के क्रम में गठित समिति द्वारा प्रथम बार दिनांक 20.09.2024 को तथा द्वितीय बार दिनांक 03.01.2025 को स्थलीय जाँच आख्या दी गयी है और वह रिपोर्ट जिलाधिकारी के पत्र क्रमांक 402/21-प्रशा०अधि०(स्था०नि०)/2024 दिनांक 23 सितम्बर 2024 एवं पत्र क्रमांक 321/21-प्रशा० अधि०(स्था०नि०)/2024-25 दिनांक 08 जनवरी 2025 के द्वारा मा० न्यायाधिकरण को प्रेषित की गयी है। ट्रेविंग ग्राउंड की नैका स्थल पर जाँच उ० रा प्रदू० नियन्त्रण बोर्ड उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा भी की गयी है जिसे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी की आख्या के साथ पुनः भेजा गया है पुनः संलग्न किया जा रहा है। (साक्ष्य संलग्न)
21	satisfaction of the complainant	शिकायतकर्ता द्वारा एक शपथपत्र भी मा० न्यायाधिकरण नई दिल्ली तथा जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी को भेजा गया, जिसे जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 504/21-प्रशा०अधि०(स्था०नि०)/2024-25 दिनांक 09 जून 2025 के द्वारा मा० न्यायाधिकरण नई दिल्ली को भेजा गया है। (साक्ष्य संलग्न)

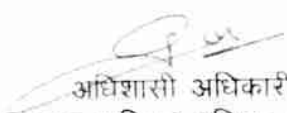
इस प्रकार मा० एन०जी०टी० द्वारा पूर्व में किये गये अन्तरिम आदेशों से पालिका को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को कराने के लिये जो मार्गदर्शन मिला है उससे पत्रवाचियों पर सभी स्तरों पर निर्णय/स्वीकृति करने में तेजी आयी और रु० 62.70 लाख की सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य, रु० 7.01 लाख के लिये सड़क, पुरानी कम्पैक्टर मशीन को उपयोग में लाकर ड्राई मार्बल से सिलिलिंग बनाया जाने का अनुबंध करने का निर्णय/स्वीकृति, उत्तराखण्ड शासन का लोमड़ी पैदा की जी०पी०आर० का प्रेषण करना तथा निवेदनालय द्वारा तयारित कार्यवाही करते हुये परीक्षण उपरान्त घनावरण के लिये शासन का भेजना ट्रेविंग ग्राउंड के आस पास तथा अन्य कड़े स्थलों के पास सी०टी०टी०वी० कैमरा की स्थापना करना, वाजनी कार्यवाही करना E-Waste

more की स्थापना करना रिपोर्टिंग अवधि तक रु0 3,11,66,000 का ड्राई मास्येज का निष्पन्न सब्जी/फल विक्रेताओं के सब्जिया-फल फूट आदि गीले कूड़े को एक निष्पन्न नगर के माध्यम से पालिका के गोदश में ले जाना आदि कार्य हुये हैं। इसी क्रियाकलापों के आधार पर मा0 अप्रैल-मई 2025 में भारत सरकार की सर्वेक्षण टीम के फील्ड सर्वेक्षण तथा Direct Observation के आधार पर All India Ranking में जाबरदस्त सुधार करते हुये विगत वर्ष की AIR 3252 के स्थान पर वर्ष 2024 की AIR 1281 आयी है। जिसकी घोषणा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 2025 को की गयी है। यह सभी कार्य मा0 NGT के निर्देशों जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग तथा पालिका टीम के संयुक्त प्रयासों से सम्भव हुआ है।

यहां पर यह भी अनुरोध करना है कि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांक 05 दिसम्बर 2024 के बिन्दु न0 2(7) में आवेदन का निस्तारित कर दिया गया था। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अधिशासी अधिकारी जो कि समिति के सदस्य भी नामित थे, उनके हस्ताक्षरित रिपोर्ट उपरोक्तानुसार दोनों बार तथा पालिका के विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रत्युत्तर के साथ भी दाखिल की गयी है। नगर पालिका परिषद पौड़ी को म्यूनिसीपल कौंसिल मानने की वजह/भ्रम के कारण म्यूनिसीपल कमीशनर की आख्या के न पाये जाने पर मा0 न्यायाधिकरण द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी थी, इस सम्बंध में दिनांक 09 जुलाई 2025 को स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी।

अतः प्रकरण में मा0 न्यायाधिकरण को अद्यतन रिपोर्ट दाखिल की जा रही है, इसलिए मा0 न्यायाधिकरण से उपरोक्त आवेदन अंतिम रूप से निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की जाती है।
संलग्नक:- यथोक्त।

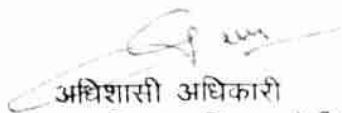
भवदीय


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-पौड़ी
(पौड़ी गढवाल)

पत्र स0 व दिनांक -तदैव-

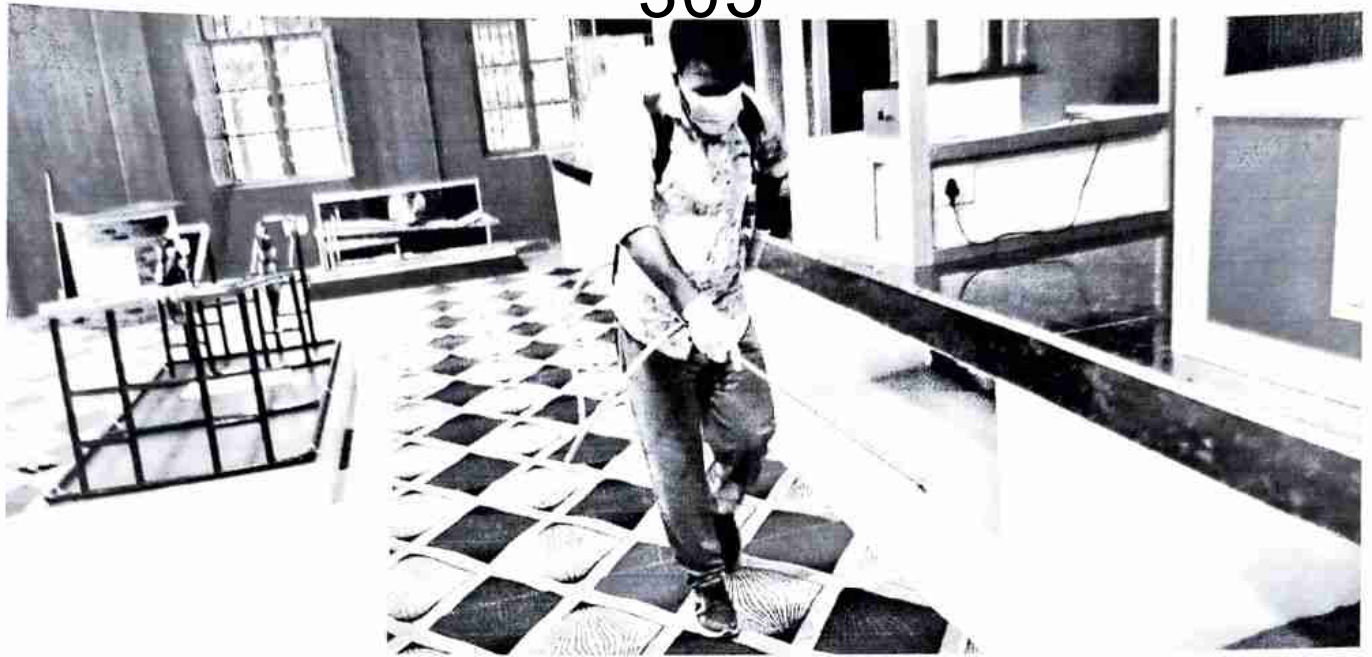
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ प्रेषित।

1- सम्मानित अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद-पौड़ी
(पौड़ी गढवाल)

6/12

प्राप्त 2/12/24



306

